[2020] 13 एस. सी. आर. 1093

राजेश

वी.

नेहा और ए. एन. आर.

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 730)

04 नवंबर, 2020

[इंदु मल्होत्रा और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे।]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 125 – अंतरिम भरण-पोषण-परिवार न्यायालय द्वारा प्रदत्त पत्नी और नाबालिग बच्चे के लिए-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-के लिए अपील उच्चतम न्यायालय-आयोजितः पुष्टि किए गए पति के तहत अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रखरखाव के पूरे बकाया का भुगतान करने और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इसका पालन जारी रखने का निर्देश दिया जाता है। 125 .

पारिवारिक कानूनः

रखरखाव/अंतरिम रखरखाव-रखरखाव कानून सामाजिक न्याय के एक उपाय के रूप में अधिनियमित किए गए हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं।

कला का संवैधानिक विस्तार। 15 (3) कला द्वारा प्रबलित। 39 संविधान का-यू/आर्ट की शक्ति के प्रयोग में बनाए गए दिशानिर्देश। 142 – रखरखाव के मुद्दों पर जो ओवरलैपिंग को शामिल करेगा

रखरखाव के भुगतान के लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत अधिकार क्षेत्र; अंतरिम रखरखाव का भुगतान; रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड; जिस तारीख से रखरखाव प्रदान किया जाना है और रखरखाव के आदेशों का प्रवर्तन-भारत का संविधान-कला। 15 (3) , 39 और 142-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-विशेष विवाह अधिनियम, 1954-हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।

अपील का निपटारा करना और सामान्य निर्देश/दिशानिर्देश जारी करना, न्यायालय।

पकड़नाः A. वर्तमान के तथ्यों और परिस्थितियों में

मामला, परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, अंतरिम रखरखाव के भुगतान के लिए @ रु. 15,000 / - उत्तरदाता संख्या 1-पत्नी को पी. एम. और उत्तरदाता संख्या 2-बेटे को Rs.10,000 पी. एम. की पुष्टि की जाती है। पति को निर्देशित किया जाता है

इस निर्णय की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर रखरखाव के पूरे बकाया का भुगतान करें, और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इस आदेश का पालन करना जारी रखें। 125 Cr.P.C. परिवार न्यायालय के समक्ष। यदि अपीलार्थी-पति उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उत्तरदाताओं के लिए आदेश को लागू करने का अधिकार होगा। s.128 Cr.P.C., और अन्य सभी उपचारों का सहारा लें जो उपलब्ध हैं

कानून के अनुसार। अंतरिम रखरखाव के भुगतान के लिए कार्यवाही यू/एस। 125 Cr.P.C. पक्षों के बीच 7 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। यह उचित होगा कि परिवार न्यायालय मूल आवेदन यू/एस का निर्णय करे। 125 Cr.P.C., वर्तमान निर्णय में जारी सामान्य निर्देशों/दिशानिर्देशों के आलोक में, तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर

निर्णय से। [भाग ए (एक्स)] [1111-एफ-एच; 1112-ए-सी]

B. रखरखाव पर दिशानिर्देश/निर्देश

1.1 . आश्रित पत्नियों और बच्चों को सहारा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में रखरखाव कानून बनाए गए हैं।

उनकी वित्तीय सहायता के लिए, ताकि उन्हें निर्धनता और भटकाव में पड़ने से रोका जा सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3), जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा देने में राज्य के लिए एक सकारात्मक भूमिका की परिकल्पना करता है, समय-समय पर विभिन्न कानूनों को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। [भाग बी] [1112-जी-एच; 1113-बी]

कैप्टन रमेश चंदर कौशल बनाम श्रीमती वीणा

कौशल और ओआरएस। (1978) 4 एससीसी 70: [1978] 3 एससीआर 782 -

पर भरोसा किया।

1.2 बनाने के लिए अलग-अलग कानून हैं

रखरखाव/अंतरिम रखरखाव के अनुदान के लिए आवेदन, यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, उपेक्षा करता है, या रखरखाव से इनकार करता है

उसकी पत्नी, बच्चे, माता-पिता। विभिन्न अधिनियम एक विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ एक स्वतंत्र और विशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। अंतरिम आवेदनों के निपटारे के लिए विभिन्न कानूनों द्वारा निर्धारित समय सीमा के बावजूद, अधिकांश मामलों में, आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है। उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करना रखरखाव/अंतरिम रखरखाव के अनुदान के लिए आवेदनों पर विचार करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक है कि राजनेश v.

इसे तय करने में एकरूपता और निरंतरता होती है। [भाग ए (iii)] [1108-जी-एच; 1109-ए-सी] 1.3 रखरखाव के मुद्दे पर जो कानून बनाए गए हैं, वे हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 ("एस. एम. ए".)।

Cr.P.C. 1973 की धारा 125; और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 ("डी. वी. अधिनियम") जो एक

व्यक्तिगत कानूनों के अलावा वे जिस समुदाय से संबंधित हैं यह विभिन्न धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। [भाग बी] [1113-ई-एफ]

1.4 रखरखाव के मुद्दे पर दिशा-निर्देश तैयार करना उचित होगा, जिसके तहत अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र शामिल होगा।

रखरखाव के भुगतान, अंतरिम रखरखाव के भुगतान के लिए विभिन्न अधिनियम, मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड

रखरखाव की तारीख, जिस तारीख से रखरखाव प्रदान किया जाना है, और रखरखाव के आदेशों का प्रवर्तन। [भाग बी] [1112-एफ-जी]

अतिव्यापी अधिकारिता का मुद्दाः

2.1 रखरखाव का दावा उपर्युक्त कानूनों में से एक या अधिक के तहत किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक अधिनियम

एक विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ एक स्वतंत्र और विशिष्ट उपचार प्रदान करता है। हालांकि यह सच है कि एक पक्ष को एक या अधिक अधिनियमों के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाने से नहीं रोका गया है, क्योंकि प्रत्येक अधिनियम के तहत राहत की प्रकृति और उद्देश्य अलग और स्वतंत्र है, यह भी उतना ही सच है कि इन अधिनियमों के एक साथ संचालन से कई कार्यवाहियां होंगी और परस्पर विरोधी आदेश। इससे अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र का अपरिहार्य प्रभाव पड़ेगा। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, ताकि प्रतिवादी/पति विभिन्न नियमों के तहत पारित रखरखाव के क्रमिक आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य न हों।

अधिनियम। [भाग बी पैरा I] [1113-जी; 1114-एफ-जी]

नानक चंद बनाम चंद्र किशोर अग्रवाल और अन्य।

(1969) 3 एससीसी 802: [1970] 1 एससीआर 565-पर निर्भर।

2.2 अतिव्यापी अधिकारिता के मुद्दे को दूर करने और विभिन्न कार्यवाहियों में परस्पर विरोधी आदेश पारित होने से बचने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है किः (i) जहां एक पक्ष द्वारा विभिन्न कानूनों के तहत रखरखाव के लिए लगातार दावे किए जाते हैं, वहां न्यायालय [2020] 13 एस. सी. आर. पर विचार करेगा।

पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में दी गई राशि का समायोजन या भुगतान, यह निर्धारित करते हुए कि क्या बाद की कार्यवाहियों में कोई और राशि प्रदान की जानी है; (ii) आवेदक के लिए बाद की कार्यवाहियों में पूर्ववर्ती कार्यवाहियों और उसमें पारित आदेशों का खुलासा करना अनिवार्य है (iii) यदि पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में पारित आदेश में संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता है, तो इसे उसी कार्यवाहियों में किया जाना आवश्यक होगा। [भाग बी पैरा VI (ए)] [1162-ई-एच; 1163-ए]

चांद धवन बनाम। जवाहरलाल धवन (1993) 3 एस. सी. सी. 406 [1993] 3 एस. सी. आर. 954; सुदीप चौधरी बनाम। राधा

चौधरी (1997) 11 एस. सी. सी. 286-पर भरोसा किया।

आर. डी. वी. बी. डी. 2019 VII (दिल्ली) 466; तनुश्री और अन्य।

वी. A.S.Moorthy 2018 SCC ऑनलाइन डेल 7074 - स्वीकृत किया गया।

अशोक सिंह पाल बनाम। मंजुलता एयर 2008 एमपी 139;

मोहन स्वरूप चौहान बनाम। मोहिनी (2016) 2 सांसद एलजे179; सुजीत अधिकारी बनाम। तुलिका अधिकारी (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 15484; चंद्र मोहन दास बनाम। तपती दास 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 9554-अनुमोदित नहीं।

पंडितराव चिमाजी कलुरे बनाम। गयाबाई (2002) 2 माह एल. जे. 53; अभिलाषा बनाम। प्रकाश और ओआरएस। 2020 ए. आई. आर. 4355; भगवान दत्त बनाम कमला देवी (1975) 2 एससीसी 386: [1975] 2 एससीआर 483; चतुर्भुज बनाम। सीताबाई (2008) 2 एससीसी 316: [2007] 12 एससीआर 577; भुवन मोहन सिंह बनाम। मीना और ओआरएस। (2015) 6 एस. सी. सी. 353 [2014] 8 एस. सी. आर. 858; चानमुनिया बनाम। विरेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा और अन्न। (2011) 1 एससीसी 141: [2010] 12 एससीआर 223; कमला और

ओआरएस। वी. एम. आर. मोहन कुमार (2019) 11 एससीसी 491: [2018]

13 एस. सी. आर. 505; हीराल पी. हरसोरा और अन्य। वी कुसुम

नरोत्तमदास हरसोरा और अन्य। (2016) 10 एससीसी 165: [2016] 9 एस. सी. आर. 515; डी. वेलुसामी बनाम। डी. पच्चैयाम्मल (2010) 10 एससीसी 469: [2010] 13 एस. सी. आर. 706; इंद्र सरमा बनाम। वी. के. वी. सरमा (2013) 15 एससीसी 755 [2013] 14 एससीआर 1019; सतीश चंदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा सी. ए. नं. 2483/2020; S.R.Batra v. तरुणा बत्रा (2007) 3 एससीसी 169: [2006] 10 पूरक। एससीआर 1206; राकेश मल्होत्रा बनाम।

कृष्णा मल्होत्रा (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 239; नागेंद्रप्पा नाटिकर बनाम। नीलम्मा (2014) 14 एस. सी. सी. 452:

[2013] 2 एस. सी. आर. 426-संदर्भित। अंतरिम रखरखाव का भुगतानः

3.1 एच. एम. ए. की धारा 24 का परंतुक (2001 के डब्ल्यू. ई. एफ. अधिनियम 49 के माध्यम से अंतःस्थापित), और धारा का तीसरा परंतुक

अंतरिम रखरखाव के लिए कार्यवाही के निपटारे के लिए एक समयबद्ध अवधि प्रदान करने वाले प्रावधान, अधिकांश मामलों में आवेदन कई वर्षों से लंबित रहते हैं। देरी विभिन्न कारकों के कारण होती है, जैसे कि पर जबरदस्त डॉकेट दबाव पारिवारिक न्यायालय, पक्षकारों द्वारा बार-बार किए जाने वाले स्थगन, अंतरिम स्तर पर ही अभिवचनों को पूरा करने में भारी समय लगना आदि। कई वर्षों तक अंतरिम चरण में रखरखाव के लिए आवेदनों की लंबितता कानून के उद्देश्य को विफल कर देती है। [भाग बी पैरा II (i)] [1138-जी-एच; 1139-ए-बी]

3.2 अंतरिम रखरखाव का मुद्दा दलीलों के आधार पर तय किया जाता है, जहां कुछ अनुमान-काम या मोटा-मोटी

अनुमान लगाया जाता है, ताकि प्रदान की जाने वाली राशि का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन किया जा सके। अक्सर यह देखा जाता है कि दोनों पक्ष कम सामग्री प्रस्तुत करते हैं, सही विवरण का खुलासा नहीं करते हैं, और महत्वपूर्ण जानकारी को दबाते हैं, जिससे परिवार न्यायालयों के लिए अंतरिम रखरखाव के अनुदान के लिए एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। जबकि पत्नी की ओर से अपनी जरूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति है, इसके अनुरूप एक प्रवृत्ति है

पति अपनी वास्तविक आय को छिपाए। [भाग बी पैरा II (ii)] [1139 सी-डी]

3.3 . पहली बार में, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 9 के अधिदेश के अनुपालन में परिवार न्यायालय,

विवादों के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए, धारा 6 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, परिवार न्यायालय को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए परामर्शदाताओं के लिए प्रावधान करेगी। वैवाहिक मुकदमेबाजी के बड़े और बढ़ते प्रतिशत को देखते हुए, यह [2020] 13 एस. सी. आर. बन गया है।

यह आवश्यक है कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाए, प्रत्येक परिवार न्यायालय में विवाह सलाहकारों की नियुक्ति का प्रावधान करके, जो निपटान की प्रक्रिया में मदद करेगा। यदि निपटान की कार्यवाही विफल हो जाती है, तो परिवार न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएगा। [भाग बी पैरा II (iii)] [1139-एफ-एच; 1140-ए]

3.4 भरण-पोषण का दावा करने वाला पक्ष या तो पति या पत्नी के रूप में, या सिविल यूनियन में भागीदार के रूप में, लिव-इन रिलेशनशिप, सामान्य कानून

विवाह, एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में, संबंधित न्यायालय के समक्ष परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण के शपथ पत्र के साथ, सीमित अभिवचनों के साथ अंतरिम रखरखाव के लिए एक संक्षिप्त आवेदन दायर करने की आवश्यकता होनी चाहिए। दोनों पक्षों द्वारा दायर अभिवचनों और प्रकटीकरण के हलफनामों के आधार पर, न्यायालय एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने की स्थिति में होगा

अंतरिम चरण में रखरखाव के लिए दी जाने वाली अनुमानित राशि। [भाग बी पैरा II (iv) (v)] [1140-बी-डी]

दिल्ली 73; कुसुम शर्मा बनाम। महिंदर कुमार शर्मा (2014) 214 डी. एल. टी. 493; कुसुम शर्मा III एम. ए. एन. यू./डी. ई./2406/2017; कुसुम शर्मा IV 2017 (2018) 246 डी. एल. टी. 1; कुसुम शर्मा V ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया।

निर्णय दिनांक 06.08.2020-संदर्भित।

3.5 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पक्षों द्वारा दायर किया जाने वाला शपथ पत्र,

ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में लागू होने वाले से पूरी तरह से अलग होने की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए, परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का एक व्यापक शपथ पत्र इस निर्णय के संलग्नक I और II के रूप में संलग्न किया गया है। मेघालय राज्य कानूनी

सेवा प्राधिकरण कि मेघालय राज्य में मुख्य रूप से आदिवासी आबादी है, जो समाज की मातृवंशीय प्रणाली का पालन करती है। मेघालय में घोषणा इस निर्णय के साथ संलग्न प्रारूप में एनक्लोजर III के रूप में की जानी चाहिए। [भाग बी पैरा II (ix & x)] [1141-जी-एच; 1142 सी-डी]

3.6 एक समान प्रारूप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रखरखाव की कार्यवाही में दायर की जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का शपथ पत्र, दिशानिर्देश इस प्रकार बनाए गए हैं: (क) परिसंपत्तियों और राजेश के प्रकटीकरण का शपथ पत्र v.

इस निर्णय के परिच्छेद I, II और III में संलग्न दायित्व, जो लागू हो सकते हैं, पक्षकारों द्वारा सभी रखरखाव कार्यवाहियों में दायर किए जाएंगे, जिसमें इस निर्णय के समक्ष लंबित कार्यवाहियां भी शामिल हैं।

संबंधित परिवार न्यायालय/जिला न्यायालय/मजिस्ट्रेट न्यायालय, जैसा भी मामला हो, पूरे देश में; (बी) भरण-पोषण के लिए दावा करने वाले आवेदक को एक संक्षिप्त फाइल करने की आवश्यकता होगी।

आवेदक द्वारा दायर शपथ पत्र और अभिलेख पर अभिवचनों के आधार पर रखरखाव के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें। [भाग बी पैरा II (xi)] [1142-डी-एच; 1143-ए-सी] 3.7 उपरोक्त प्रारूप को संबंधित न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यदि किसी मामले की आवश्यकताओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना संबंधित न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाएगा। अगर जानकारी के अलावा

प्रकटीकरण के शपथ पत्र में निहित, किसी भी आगे की जानकारी की आवश्यकता है, संबंधित न्यायालय उसके संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है। यदि प्रकटीकरण के शपथ पत्र में की गई घोषणा के संबंध में कोई विवाद है, तो पीड़ित पक्ष

सी. पी. सी. के आदेश XI के तहत। हलफनामा दाखिल करने पर, न्यायालय सी. पी. सी. के आदेश X या साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 के प्रावधानों को लागू कर सकता है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है। तो। एक पक्ष की आय अक्सर दूसरे पति या पत्नी की जानकारी में नहीं होती है। न्यायालय धारा 106 का आह्वान कर सकता है -

साक्ष्य अधिनियम, 1872, यदि आवश्यक हो, क्योंकि पति या पत्नी की आय, संपत्ति और देनदारियां संबंधित पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी में हैं। [भाग बी पैरा II (xi)] [1143-सी-एच] [2020] 13 एस. सी. आर.

पार्टी एक संशोधित/पूरक शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है, जो अंतिम निर्धारण के समय अदालत द्वारा विचार किया जाएगा। [भाग बी पैरा II (xi)] [1144-ए-बी]

यू/एस के तहत कार्यवाही शुरू करने पर विचार करें। 340 Cr.P.C., और न्यायालय की अवमानना के लिए। [भाग बी पैरा II (xi)] [1144-बी-सी] 3.10 यदि पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ("ईडब्ल्यूएस") से संबंधित हैं, या गरीबी रेखा ("बी. पी. एल".) से नीचे रह रहे हैं, या आकस्मिक मजदूर हैं, तो शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता है।

दे दिया जाएगा। संबंधित परिवार न्यायालय/जिला न्यायालय/मजिस्ट्रेट न्यायालय को अदालत के समक्ष प्रकटीकरण के हलफनामे दायर किए जाने के बाद, चार से छह महीने की अवधि के भीतर, एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदन पर निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। एक पेशेवर

प्रत्येक परिवार न्यायालय में विवाह परामर्शदाता उपलब्ध कराया जाना चाहिए। [भाग बी पैरा II (xi)] [1144-सी-ई]

स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान

अपने शेष जीवन के लिए आवेदक। विवाह की अवधि एक प्रासंगिक कारक होगा जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए भुगतान किए जाने वाले स्थायी गुजारा भत्ता का निर्धारण करना। बच्चों की शादी के लिए उचित खर्च देने का प्रावधान स्थायी गुजारा भत्ता निर्धारित करते समय किया जाना चाहिए, जहां अभिरक्षा पत्नी के पास है। खर्च का निर्धारण पति की वित्तीय स्थिति और परिवार के रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यदि किसी पति/पत्नी/दादा-दादी द्वारा बच्चों के पक्ष में कोई न्यास निधि/निवेश बनाया गया है, तो यह राजेश v.

अंतिम बाल सहायता तय करते समय भी ध्यान में रखा जाएगा। [भाग बी पैरा II (xi)] [1144-एफ-एच]

4.2 इस निर्णय के संलग्नक I, II और III के रूप में संलग्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का शपथ पत्र, जो भी हो सकता है

लागू, सभी रखरखाव में दोनों पक्षों द्वारा दायर किया जाएगा संबंधित परिवार न्यायालय/जिला न्यायालय/मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही सहित कार्यवाहियां, जैसा भी मामला हो

हो, पूरे देश में। [भाग बी पैरा VI (बी)] [1163-बी-सी]

रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंडः

5.1 अदालत के साथ अन्य बातों के साथ जिन कारकों का वजन होगा, वे हैं पक्षों की स्थिति; पत्नी की उचित आवश्यकताएँ और

आश्रित बच्चे; क्या आवेदक शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य है; क्या आवेदक के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत है; क्या आय उसे जीवन स्तर बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है जैसा कि वह अपने वैवाहिक घर में रहने की आदी थी; क्या आवेदक पहले से कार्यरत था

उसकी शादी; क्या वह शादी के निर्वाह के दौरान काम कर रही थी; क्या पत्नी को परिवार के पालन-पोषण, बच्चे के पालन-पोषण और परिवार के वयस्क सदस्यों की देखभाल के लिए अपने रोजगार के अवसरों का त्याग करने की आवश्यकता थी;

एक गैर-कामकाजी पत्नी के लिए मुकदमा। रखरखाव तथ्यात्मक स्थितियों पर निर्भर करता है; न्यायालय को रखरखाव के लिए दावे को ढालना चाहिए। इसके सामने लाए गए विभिन्न कारकों के आधार पर। [भाग बी पैरा III (i)] [1145 डी-एफ; 1146-बी]

मनीष जैन बनाम। आकांक्षा जैन (2017) 15 एस. सी. सी. 801 [2017] 3 एस. सी. आर. 702-पर निर्भर थी।

जसबीर कौर सहगल बनाम। जिला न्यायाधीश, देहरादून और अन्य। (1997) 7 एससीसी 7: [1997] 3 पूरक। एससीआर 529; विन्नी परमवीर परमार बनाम। परमवीर परमार (2011) 13 एससीसी

112 : [2011] 9 एस. सी. आर. 371-संदर्भित।

5.2 पति की वित्तीय क्षमता, उसकी वास्तविक आय, अपने रखरखाव के लिए उचित खर्च और आश्रित परिवार

जिन सदस्यों को वह कानून के तहत बनाए रखने के लिए बाध्य है, यदि कोई देनदारियां हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि भुगतान किए जाने वाले रखरखाव की उचित मात्रा पर पहुंचा जा सके।

सभी प्रासंगिक कारकों के बीच उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए। [भाग बी पैरा III (i और ii)] [1146-सी, ई-एफ]

रीमा साल्कन बनाम। सुमेर सिंह सालकन (2019) 12 एस. सी. सी. 303 [2018] 12 एस. सी. आर. 350; चतुर्भुज बनाम। सीता बाई (2008) 2 एससीसी 316: [2007] 12 एस. सी. आर. 577-पर निर्भर।

जिसके लिए पीड़ित महिला अपने वैवाहिक घर में रहने की आदी थी। [भाग बी पैरा III (iii और iv)] [1147-ए, सी-डी] 5.4 उपरोक्त कारकों के अलावा, रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए कुछ अतिरिक्त कारक भी प्रासंगिक होंगे।

देय, जैसे कि पक्षों की आयु और रोजगार, निवास का अधिकार, जहां पत्नी कुछ आय अर्जित कर रही है, नाबालिग बच्चों का रखरखाव और पति/पत्नी की गंभीर अक्षमता या बीमारी, शादी से बच्चे/बच्चे/आश्रित रिश्तेदार जिन्हें निरंतर देखभाल और बार-बार खर्च की आवश्यकता होती है। हालांकि उपरोक्त कारक नहीं हैं

और संबंधित न्यायालय किसी अन्य कारक/कारकों पर विचार करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है जो किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवश्यक या प्रासंगिक हो सकता है। [भाग बी पैरा III (vi) और VI (c)] [1148-बी; 1163-डी]

भारत हेगड़े बनाम। श्रीमती. सरोज हेगड़े 140 (2007) डीएलटी 16; शैलजा और अन्र। वी. खोब्बन्ना (2018) 12 एस. सी. सी. 199; सुनीता कचवाहा और अन्य। वी. अनिल कछवाहा (2014) 16 एस. सी. सी. 715; शमीमा फारूकी बनाम। शाहिद खान (2015) 5 एससीसी 705:

[2015] 4 एस. सी. आर. 137-पर निर्भर।

(2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 694; चंदर प्रकाश बोधराज बनाम। शीला रानी चंदर प्रकाश आकाशवाणी 1968 दिल्ली

174 - संदर्भित किया गया।

जिस तारीख से रखरखाव प्रदान किया जाना हैः

6.1 एच. एम. ए. में उस तारीख के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है जिससे रखरखाव का आदेश प्रभावी किया जा सकता है। धारा 125 (2) Cr.P.C. एकमात्र वैधानिक प्रावधान है जो यह प्रावधान करता है कि मजिस्ट्रेट या तो भरण-पोषण प्रदान कर सकता है। आदेश की तारीख, या आवेदन की तारीख से। [भाग बी पैरा IV] [1151-डी-ई]

6.2 एक समान शासन के अभाव में, परिवार न्यायालयों द्वारा अपनाई गई प्रथा में एक विशाल भिन्नता है,

जिस तारीख से रखरखाव प्रदान किया जाना चाहिए। परिवार न्यायालयों द्वारा लिए गए अलग-अलग विचार इस प्रकार हैंः पहला, उस तारीख से जिस पर रखरखाव के लिए आवेदन दायर किया गया था; दूसरा, रखरखाव देने वाले आदेश की तारीख; तीसरा, वह तारीख जिस पर प्रतिवादी को समन भेजा गया था। [भाग बी पैरा IV] [1151-ई-एफ]

एस में आदेश की तारीख से। 125 (2) Cr.P.C., यह उचित होगा। धारा 125 सहित सभी मामलों में आवेदन की तारीख से भरण-पोषण प्रदान करना।

रखरखाव के लिए, वर्षों के अंत तक अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदनों के निपटान में महत्वपूर्ण देरी होती है। इसलिए यह न्याय और निष्पक्षता के हित में होगा कि आवेदन की तारीख से भरण-पोषण प्रदान किया जाए। [भाग बी पैरा IV] [1155-जीएच; 1156-ए-बी]

6.4 आवेदन की तारीख से रखरखाव देने का तर्क रखरखाव को लागू करने के उद्देश्य में निहित है। कानून, ताकि पत्नी पति से अलग होने पर होने वाले वित्तीय संकट से उबर सके। आश्रित पति या पत्नी की वित्तीय बाधाएं न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता को बाधित करती हैं। किसी आश्रित को अभावग्रस्त होने से रोकने के लिए, यह आवश्यक है कि भरण-पोषण उस तारीख से दिया जाए जिस दिन संबंधित न्यायालय के समक्ष भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर किया जाता है। [भाग बी पैरा IV] [1156-डी-एफ]

6.5 . इसलिए सभी [2020] 13 एस. सी. आर. द्वारा पारित आदेशों में एकरूपता और एकरूपता लाने के लिए निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है।

न्यायालय, निर्देश देते हुए कि भरण-पोषण उस तारीख से दिया जाए जिस दिन संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया था। रखरखाव का दावा करने का अधिकार आवेदन दाखिल करने की तारीख से होना चाहिए, जिस अवधि के दौरान रखरखाव किया गया था। लंबित कार्यवाही आवेदक के नियंत्रण में नहीं है। [भाग बी पैरा IV] [1157-सी-डी]

शैल कुमारी देवी और अन्य। वी. कृष्णन भगवान पाठक (2008) 9 एस. सी. सी. 632: [2008] 11 एससीआर 386; भुवन मोहन सिंह बनाम। मीना (2015) 6 एससीसी 353: [2014] 8 एस. सी. आर. 858; बादशाह बनाम। उर्मिला बादशाह गोडसे (2014) 1 एस. सी. सी. 188:

[2013] 10 एस. सी. आर. 259-पर निर्भर।

सुष्मिता मोहंती बनाम। रवीन्द्र नाथ साहू 1996 (1) ओ. एल. आर. 361; कान्हू चरण जेना बनाम। श्रीमती. निर्मला जेना 2001 क्राई एलजे 879; अरुण कुमार नायक बनाम। उर्मिला जेना (2010) 93 एआईसी 726 (ओरी); गंगा प्रसाद श्रीवास्तव बनाम। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गोंडा और अन्य। 2019 (6) एडीजे 850; बीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 69 एसीसी 19; अमित वर्मा बनाम। संगीता वर्मा और अन्य। सी. आर. आर. सं. 3542/2019, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश के माध्यम से निर्णय लिया गया

08.01.2020 ; एस. राधाकुमारी बनाम के. एम. के. नायर एयर 1983 केर 139; समीर बनर्जी बनाम। सुजाता बनर्जी 70 सी. डब्ल्यू. एन.

633 ; गौरी दास बनाम। प्रद्युम्न कुमार दास 1986 (II) ओ. एल. आर. 44; कल्पना दास बनाम। शरत कुमार दास एयर 2009 ओरी 133 - संदर्भित किया गया।

रखरखाव के आदेशों का प्रवर्तनः

7.1 रखरखाव के आदेश का प्रवर्तन सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जिसका सामना आवेदकों को करना पड़ता है। अगर

रखरखाव का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, यह समाज कल्याण कानून के उद्देश्य को पराजित करता है। निष्पादन याचिकाएं आमतौर पर महीनों के लिए लंबित रहती हैं, यदि वर्षों के लिए नहीं, जो कानून के उद्देश्य को पूरी तरह से रद्द कर देती हैं। [भाग बी पैरा वी] [1157-ई]

7.2 रखरखाव के आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन (ए) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 ए के तहत दायर किया जा सकता है।

1956 आर. डब्ल्यू परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 18 और हिंदू विवाह अधिनियम (परिवार न्यायालय के समक्ष) की धारा 24 के तहत पारित आदेश को निष्पादित करने के लिए सी. पी. सी. का आदेश XXI नियम 94; राजेश v.

नेहा और ए. एन. आर.

जो सी. पी. सी. के विभिन्न प्रावधानों, विशेष रूप से आदेश XXI के साथ पठित धारा 51,55,58,60 द्वारा प्रदान किए गए नागरिक निरोध, संपत्ति की कुर्की आदि सहित धन डिक्री को लागू करने के लिए उपलब्ध हैं। प्रत्यर्थी के बचाव को रद्द करना एक ऐसा आदेश है जिसे अंतिम उपाय में पारित किया जाना चाहिए, यदि अदालतें चूक को जानबूझकर और अपमानजनक पाती हैं, विशेष रूप से किसी आश्रित के लिए। बेरोजगार पत्नी और नाबालिग बच्चे। जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना कार्यवाही उपयुक्त न्यायालय के समक्ष शुरू की जा सकती है। [भाग बी पैरा वी] [1162-ए-डी]

सुशीला विरेश छावड़ा बनाम। विरेश नागसी छावड़ा एयर 1996 बम 94; कौशल्या बनाम। मुकेश जैन आपराधिक अपील सं। 1129-1130 / 2019 निर्णय दिनांकित निर्णय के माध्यम से लिया गया

24.07.2019 ; बानी वी. प्रकाश सिंह ए. आई. आर. 1996 पी एंड एच 175; मोहिंदर वर्मा बनाम। सपना मनु/पीएच/3684/2014; सतीश कुमार बनाम। मीना 2001 (60) डी. आर. जे. 246; श्रीमती. संतोष सहगल बनाम। श्री मुरारी लाल सहगल एयर 2007 दिल्ली 210; गुरिंदर सिंह बनाम मूर्ति और अन्य। (1990) डीएमसी 559; वेंकटेश्वर

द्विवेदी वी. रुचि द्विवेदी (2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 481 -

संदर्भित किया गया।

[2020] 13

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1978] 3 एससीआर 782

उस पर भरोसा करें

भाग बी

[1970] 1 एससीआर 565

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा

[1993] 3 एससीआर 954

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा

संदर्भित किया गया है

2020 एयर 4355

भाग बी पैरा

[1975] 2 एससीआर 483

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा

[2007] 12 एससीआर 577

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा

[2014] 8 एससीआर 858

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा

[2010] 12 एससीआर 223

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा

[2018] 13 एससीआर 505

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा

[2016] 9 एससीआर 515

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा

[2010] 13 एससीआर 706

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा

[2013] 14 एससीआर 1019

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा

[2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 1206 संदर्भित

भाग बी पैरा

[2013] 2 एससीआर 426

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा I

(1997) 11 एस. सी. सी. 286

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा

[1997] 3 पूरक। एससीआर 529

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा I

[2011] 9 एससीआर 371

भाग बी पैरा I

संदर्भित किया गया है

[2017] 3 एससीआर 702

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा I

[2018] 12 एससीआर 350

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा I

[2007] 12 एससीआर 577

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा I

(2018) 12 एससीसी 199

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा I

[vi (c)]

[2007] 12 एससीआर 577

संदर्भित किया गया है

भाग बी पैरा I

[vi (c)]

(2014) 16 एस. सी. सी. 715

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा I

[vi (c)]

राजेश v.

नेहा और ए. एन. आर.

[2015] 4 एससीआर 137

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा III

[vi (c)]

[2008] 11 एससीआर 386

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा IV

[2014] 8 एससीआर 858

उस पर भरोसा करें

भाग बी पैरा IV

उस पर भरोसा करें

[2013] 10 एससीआर 259

भाग बी पैरा IV

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील एन

730 2020 से।

उच्च न्यायालय के 14.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 875 में बॉम्बे नागपुर बेंच, नागपुर में न्यायिक कार्य।

अनुराग घारोटे, सुश्री प्रज्ञा बघेल, सत्यजीत ए. देसाई, सत्य

काम शर्मा, सुश्री अनघा एस. देसाई, अधिवक्ता। उपस्थित पक्षों के लिए

न्याय

सूचकांक

2020 की आपराधिक अपील No.730 में पारित आदेश

भाग ए भाग बी

सामान्य दिशानिर्देश और निर्देश

अतिव्यापी न्यायक्षेत्रों का मुद्दा

आई.

अंतरिम रखरखाव का भुगतान

II.

रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड

III.

जिस तारीख से रखरखाव प्रदान किया जाना है

IV.

रखरखाव के आदेशों का प्रवर्तन

वी.

VI.

अंतिम दिशाएँ

इंदू मल्होत्रा, जे. छुट्टी दे दी गई।

भाग ए

वर्तमान आपराधिक अपील एक अनुप्रयोग से उत्पन्न होती है।

((i)

प्रत्यर्थी द्वारा-पत्नी और नाबालिग बेटा। उत्तरदाता नंबर 1-पत्नी ने जनवरी 2013 में वैवाहिक घर छोड़ दिया।

पुत्र के जन्म के बाद-प्रतिवादी संख्या 2।

02.09.201 [2020] 13

एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

पत्नी ने यू/एस के तहत अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदन दायर किया। 125 Cr.P.C. अपनी और नाबालिग बेटे की ओर से। पारिवारिक न्यायालय ने 24.08.2015 दिनांकित एक विस्तृत आदेश के माध्यम से Rs.15,000 प्रति माह के अंतरिम रखरखाव का आदेश दिया

प्रत्यर्थी संख्या 1-01.09.2013 से पत्नी; और रु। 5,000 प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए अंतरिम रखरखाव के रूप में प्रति माह-01.09.2013 से 31.08.2015 तक का बेटा; और @रु। 10,000 01.09.2015 के बाद से मुख्य याचिका में अगले आदेश पारित होने तक प्रति माह।

अपीलार्थी-पति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के समक्ष दायर आपराधिक रिट याचिका No.875/2015 के माध्यम से परिवार न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने दिनांकित आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया

14.08.2018 , और परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की।

वर्तमान अपील दिनांकित 14.08.2018 आदेश को लागू करने के लिए दायर की गई है। इस न्यायालय ने पत्नी को नोटिस जारी किया और अपीलार्थी-पति को 2005-2006 से लेकर अब तक की अवधि के लिए अपना आयकर विवरणी और मूल्यांकन आदेश दाखिल करने का निर्देश दिया।

30.11.2019 , ऐसा न करने पर, न्यायालय इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत आगे बढ़ेगा। इस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हमने वैवाहिक मामलों में रखरखाव के भुगतान से संबंधित कुछ पहलुओं पर दिशानिर्देश तैयार करना उचित समझा। रखरखाव/अंतरिम रखरखाव के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए अलग-अलग कानून हैं, यदि कोई व्यक्ति

पर्याप्त का अर्थ है उपेक्षा करना, या अपनी पत्नी, राजेश v को बनाए रखने से इनकार करना।

नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

बच्चे, माता-पिता। विभिन्न अधिनियम एक प्रदान करते हैं

एक विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ तैयार किया गया स्वतंत्र और विशिष्ट उपचार। अंतरिम आवेदनों के निपटारे के लिए विभिन्न कानूनों द्वारा निर्धारित समय सीमा के बावजूद, हमने देखा है कि व्यवहार में, अधिकांश मामलों में, आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है। उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करना

रखरखाव के अनुदान के लिए आवेदनों में विचार / अंतरिम रखरखाव, यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक है कि निर्णय लेने में एकरूपता और निरंतरता हो

एक ही। इन मुद्दों पर सहायता लेने के लिए हमने सुश्री अनीता शेनॉय और श्री गोपाल को नियुक्त किया है।

शंकरनारायणन, एमिसी क्यूरी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने इस न्यायालय की सहायता करना स्वीकार किया है।

17.12.2019 दिनांकित एक और आदेश द्वारा, अपीलार्थी था

रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 1,45,000 उत्तरदाता को सं। 1 - 45 दिनों की अवधि के भीतर पत्नी। दिशा-निर्देश तैयार करने के मुद्दे पर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को विभिन्न राज्यों के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था।

एक बाद के आदेश दिनांक 05.08.2020 द्वारा, यह दर्ज किया गया था कि अपीलार्थी-पति द्वारा 04.08.2020 पर अनुपालन का एक शपथ पत्र दायर किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि रु। 1,45,000 जनवरी, 2020 में उनके द्वारा 11.09.2019 का भुगतान किए जाने तक। हालाँकि, उसके बाद उसने पत्नी को कोई और भुगतान नहीं किया था। नाबालिग बेटे के लिए देय Rs.10,000 पी. एम. की राशि के संबंध में, आदेश का जुलाई 2020 तक पालन किया गया था। अपीलार्थी के वकील द्वारा एक बयान दिया गया था कि वह अपने बेटे के लिए भरण-पोषण के भुगतान पर विवाद नहीं कर रहे थे, और वही भुगतान करना जारी रखेंगे। इस न्यायालय द्वारा पत्नी को भरण-पोषण के पूरे बकाया का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया था।

रु. 15,000 पी. एम. जैसा कि परिवार न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उक्त राशि का भुगतान करना जारी रखें।

25.08.2020 दिनांकित आदेश द्वारा, यह नोट किया गया था कि अपीलार्थी ने 23.08.2020 दिनांकित एक शपथ पत्र दायर किया था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था और स्वीकार किया था कि [2020] 13 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

रुपये. 5,00,000 रखरखाव के बकाया के लिए लंबित था।

प्रत्यर्थी संख्या 1-पत्नी को। अपीलार्थी को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 को बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर उसे रहने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई की अगली तारीख को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। पति के वकील ने पक्षों के बीच लंबित विभिन्न कार्यवाही का एक चार्ट रिकॉर्ड पर रखा। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने पक्षों के बीच लंबित सभी विवादों को हल करने के लिए नागपुर में एक प्रसिद्ध मध्यस्थ, श्री श्रीधर पुरोहित, अधिवक्ता द्वारा मध्यस्थता के लिए मामले को संदर्भित करना उचित समझा।

समझौता।

08.10.2020 पर, हमें सूचित किया गया कि मध्यस्थता विफल हो गई है। पति अदालत के समक्ष पेश हुआ और मौखिक बयान दिया कि उसके पास प्रतिवादी संख्या 1-पत्नी को देय भरण-पोषण के आदेश का पालन करने के लिए वित्तीय साधन नहीं थे, और उसे भुगतान करने के लिए उसे अपने पिता से ऋण लेना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने

बेटे को दिए गए भरण-पोषण का भुगतान किया, और बिना किसी आपत्ति के ऐसा करना जारी रखा। दोनों पक्षों ने दलीलें दीं

और अपनी लिखित दलीलें दाखिल कीं।

हमने पक्षकारों के वकील को सुना है, और गौर किया है

उनकी ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियाँ। पति ने अन्य बातों के साथ प्रस्तुत किया है कि वह वर्तमान में बेरोजगार था, और प्रतिवादी संख्या 1-पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और उनका केवल एक चालू बैंक खाता है। पति ने अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए कोई और राशि देने से इनकार कर दिया। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि परिवार न्यायालय ने 2013 में देय रखरखाव का निर्धारण करते समय 2006 के आयकर रिटर्न पर गलती से भरोसा किया था। उन्होंने आगे कहा कि वह नई व्यावसायिक परियोजनाओं की खोज कर रहे हैं, जो उन्हें अपने परिवार को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में रखने में सक्षम बनाएगी।

पत्नी ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि बेटे के लिए दी गई Rs.10,000 की राशि 2015 में दी गई थी जब वह ढाई साल का था। उक्त राशि अब अत्यधिक रजनीश बनाम थी।

नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

एक बढ़ते हुए बच्चे के खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त, जो साढ़े सात साल का है, और एक स्कूल जाने वाला लड़का है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यदि समय के भीतर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं के लिए लिंक भेजना बंद कर देगा। उसने प्रस्तुत किया कि वह बिना किसी समर्थन के बढ़ते खर्चों से बोझिल हो रही थी

पति से।

पति के इस तर्क के संबंध में कि उसकी कोई आय नहीं है, उसने प्रस्तुत किया कि पति ने अचल संपत्ति परियोजनाओं और अन्य व्यवसायों में निवेश किया था, जिन्हें वह अदालत से छिपा रहा था, और आय को अपने माता-पिता को दे रहा था। यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने उसके स्ट्रीधन के अवैध कब्जे को बरकरार रखा था, जिसे वह वापस करने से इनकार कर रहा था। इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बावजूद, और डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही में, वह जानबूझकर इसका पालन नहीं कर रहे थे। इनमें

परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया गया था कि विश्वास की एक बड़ी कमी थी, और सुलह की कोई संभावना नहीं थी।

रखरखाव में वृद्धि के मुद्दे के संबंध में

पुत्र के लिए, प्रतिवादी को उक्त राहत के लिए परिवार न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता है। हम वर्तमान अपील में यह राहत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह पति द्वारा दायर की गई है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम आदेश देते हैं

और निर्देश दें किः

(अ)

24.08.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश पारित किया गया

परिवार न्यायालय, नागपुर द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ द्वारा दिनांकित आदेश द्वारा पुष्टि की गई

14.08.2018 अंतरिम रखरखाव के भुगतान के लिए

Rs.15,000 पी. एम. उत्तरदाता संख्या 1-पत्नी को, और

Rs.10,000 पी. एम. प्रत्यर्थी संख्या 2-बेटे को, इस न्यायालय द्वारा एतद्वारा पुष्टि की जाती है;

(ख)

पति को पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

रखरखाव @रु। 15,000 इस निर्णय की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर, और इस आदेश के लंबित रहने के दौरान इसका पालन करना जारी रखें।

कार्यवाही यू/एस। 125 Cr.P.C. परिवार न्यायालय के समक्ष; [2020] 13 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि अपीलार्थी-पति इसका पालन करने में विफल रहता है

((ग)

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, उत्तरदाताओं के लिए यह खुला होगा कि वे आदेश को यू/S.128 Cr.P.C के तहत लागू करें और अन्य सभी उपायों का सहारा लें जो कानून के अनुसार उपलब्ध हैं।

अंतरिम रखरखाव के भुगतान के लिए कार्यवाही

((घ)

यू/एस। 125 Cr.P.C. पक्षों के बीच लंबित है। अब 7 साल से अधिक की अवधि के लिए। हम यह उचित समझते हैं कि परिवार न्यायालय यू/एस के तहत मूल आवेदन पर फैसला करता है। 125 Cr.P.C. याचिका सं. ई-443/2013 अंततः, वर्तमान में जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के आलोक में

निर्णय की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर

यह निर्णय।

रजिस्ट्री को पक्षकारों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों और वर्तमान आपराधिक अपील में कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ दलीलों की पूरी प्रति परिवार न्यायालय, नागपुर को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

वर्तमान आपराधिक अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

भाग बी

वर्तमान मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि को देखते हुए, जो खुलासा करता है

न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रवर्तन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पत्नी के लिए लगातार आवेदन करने के लिए विवश किया गया था समय-समय पर प्रवर्तन, हम रखरखाव के मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार करना उचित समझते हैं, जिसमें रखरखाव के भुगतान, अंतरिम रखरखाव के भुगतान, रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंडों के लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र शामिल होगा।

रखरखाव, वह तिथि जिससे रखरखाव प्रदान किया जाना है, और रखरखाव के आदेशों का प्रवर्तन।

रखरखाव पर दिशानिर्देश/निर्देश

रखरखाव कानून एक सामाजिक उपाय के रूप में अधिनियमित किए गए हैं

आश्रित पत्नियों और बच्चों को उनके लिए सहारा प्रदान करने के लिए न्याय

वित्तीय सहायता, ताकि उन्हें निर्धनता में पड़ने से रोका जा सके और

व्यग्रता।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (3) प्रदान करता है किः

" इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगी

महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) में परिवर्तन को बढ़ावा देने में राज्य के लिए एक सकारात्मक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

महिला सशक्तिकरण के कारण समय-समय पर विभिन्न कानून बनाए गए।

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कैप्टन रमेश चंदर कौशल बनाम श्रीमती वीणा कौशल और Ors.[1] मामले में अपने फैसले में कहा कि

रखरखाव कानून हैंः

" 9. यह प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आता है।

हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानूनों की धाराएँ

अदालतों द्वारा निर्माण भयभीत प्रिंट नहीं हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए जीवंत शब्द हैं। की परेशान करने वाली उपस्थिति महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक सहानुभूति को व्याख्या को सूचित करना चाहिए यदि इसकी सामाजिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। इस प्रकार, दो विकल्पों में से उस व्याख्या को चुनने में चयनात्मक होना संभव है जो अवहेलना के कारण को आगे बढ़ाता है।

जिन मुद्दों पर कानून बनाए गए हैं

रखरखाव विशेष विवाह अधिनियम 1954 ("एस. एम. ए".), Cr.P.C की धारा 125 हैं। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 ("डी. वी. अधिनियम") जो विभिन्न धार्मिक समुदायों पर लागू व्यक्तिगत कानूनों के अलावा महिलाओं को एक वैधानिक उपचार प्रदान करता है, चाहे वे किसी भी धार्मिक समुदाय से संबंधित हों।

अतिव्यापी अधिकारिता का मुद्दा

आई.

रखरखाव का दावा उपर्युक्त कानूनों में से एक या अधिक के तहत किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक अधिनियम एक

एक विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ तैयार किया गया स्वतंत्र और विशिष्ट उपचार। उदाहरण के लिए, एक हिंदू पत्नी हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 ("एच. ए. एम. ए".) के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, और विवाह के विघटन या पुनर्स्थापना के लिए एक ठोस कार्यवाही में भी।

1 (1978) 4 एससीसी 70।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त अधिनियम की धारा 24 और 25 को लागू करके हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ("एच. एम. ए".) के तहत वैवाहिक अधिकार आदि।

(1) नानक चंद बनाम चंद्र किशोर अग्रवाल और Ors.² में,

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि Cr.P.C और HAMA के बीच कोई विसंगति नहीं थी। एच. ए. एम. ए. की धारा 4 (बी) पुराने Cr.P.C की धारा 488 के प्रावधानों को निरस्त या प्रभावित नहीं करेगी।

गोद लेने से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध करना और हिंदुओं के बीच रखरखाव। कानून काफी हद तक समान था।

इससे पहले और किसी ने कभी यह सुझाव नहीं दिया कि हिंदू कानून, जैसा कि लागू है

इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, जहाँ तक

यह बच्चों के रखरखाव से संबंधित था, किसी भी तरह से था धारा 488, Cr.P.C के साथ असंगत। दोनों का दायरा

कानून अलग हैं। धारा 488 एक संक्षिप्त उपचार प्रदान करती है और

सभी धर्मों से संबंधित सभी व्यक्तियों पर लागू होता है और

पार्टियों के व्यक्तिगत कानून के साथ कोई संबंध नहीं। हाल ही में

यह सवाल राम मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आया। सिंह बनाम। बताइएः ए. आई. आर. 1963 ऑल 355, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष

महाबीर अग्रवाल बनाम। गीता रॉय [1962] 2 करोड़। L.J.528 और

नलिनी रंजन बनाम में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष। किरण रानीः AIR1965Pat442। तीन उच्च न्यायालयों ने, हमारे विचार में,

सही ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि धारा 4 (बी)

रखरखाव अधिनियम किसी भी तरह से निरस्त या प्रभावित नहीं करता है

धारा 488, Cr.P.C में निहित प्रावधान।

(जोर दिया गया)

जबकि यह सच है कि एक पक्ष को संपर्क करने से रोका नहीं जाता है

एक या अधिक अधिनियमों के तहत न्यायालय, चूंकि प्रत्येक अधिनियम के तहत राहत की प्रकृति और उद्देश्य अलग और स्वतंत्र है, इसलिए यह समान रूप से सच है।

कि इन अधिनियमों के एक साथ संचालन से कार्यवाही और परस्पर विरोधी आदेशों की बहुलता होगी। इसका अपरिहार्य प्रभाव पड़ेगा।

अतिव्यापी अधिकारिता। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, ताकि प्रतिवादी/पति विभिन्न अधिनियमों के तहत पारित रखरखाव के क्रमिक आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य न हो।

उदाहरण के लिए, यदि धारा 125 Cr.P.C के तहत पिछली कार्यवाही में,

बाद की कार्यवाही में रखरखाव के लिए एक राशि प्रदान की जाती है।

2 (1969) 3 एससीसी 802।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के विघटन के लिए दायर किया गया है, जहां धारा 24 के तहत रखरखाव के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

उस अधिनियम, या धारा 25 के तहत रखरखाव के लिए, एच. एम. ए. के तहत दी गई राशि का निर्णय लेते समय, पहले की कार्यवाही में दिए गए भुगतान पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

विभिन्न अधिनियमों के तहत वैधानिक प्रावधान

(क) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (एस. एम. ए.)

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4 में प्रावधान है कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह जो भारत के नागरिक हैं, इस अधिनियम के तहत संपन्न किया जा सकता है, भले ही इसमें कुछ भी निहित हो।

उस समय लागू अन्य कानून। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो भारत में अपनी शादी को संपन्न करते हैं।

विशेष विवाह अधिनियम की धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि एक पत्नी लंबित जीवन-निर्वाह का दावा करने की हकदार है, यदि उसके पास अपना भरण-पोषण करने और कानूनी खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है। द.

वैवाहिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान साप्ताहिक या मासिक आधार पर भरण-पोषण प्रदान किया जा सकता है। न्यायालय पति की आय के आधार पर भरण-पोषण की मात्रा निर्धारित करेगा और ऐसी राशि प्रदान करेगा जो उचित लगे।

धारा 36 इस प्रकार है:

" एस. 36. गुजारा भत्ता लटकता रहता है। जहां अध्याय 5 या अध्याय 6 के तहत किसी भी कार्यवाही में जिला न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पत्नी की कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके समर्थन और उसके आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त है।

कार्यवाही में, वह पत्नी के आवेदन पर पति को कार्यवाही के खर्च का भुगतान करने का आदेश दे सकता है, और कार्यवाही के दौरान साप्ताहिक या मासिक रूप से ऐसी राशि का भुगतान कर सकता है।

जैसा कि, पति की आय को ध्यान में रखते हुए, ऐसा लग सकता है

अदालत को उचित होना चाहिए।

बशर्ते कि खर्चों के भुगतान के लिए आवेदन

अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन कार्यवाही के दौरान कार्यवाही और ऐसी साप्ताहिक या मासिक राशि का यथासंभव 60 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा।

पति को नोटिस की सेवा की तारीख "।

धारा 37 डिक्री के पारित होने के समय या उसके बाद स्थायी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान करती है। स्थायी गुजारा भत्ता [2020] 13 एस. सी. आर. है।

पति द्वारा पत्नी को उसके प्रति किया गया समेकित भुगतान जीवन के लिए रखरखाव।

धारा 37 इस प्रकार हैः

" एस. 37. स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव। — (1) कोई भी अदालत

अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, किसी डिक्री को पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय

डिक्री, इस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर, आदेश

कि पति पत्नी को उसके भरण-पोषण के लिए सुरक्षित करेगा।

और यदि आवश्यक हो तो पति पर शुल्क लगाकर सहायता करें।

संपत्ति ऐसी सकल राशि या ऐसा मासिक या आवधिक भुगतान

एक अवधि के लिए धन जो उसके जीवन से अधिक नहीं है, जैसे कि

उसकी अपनी संपत्ति, यदि कोई हो, तो उसके पति की संपत्ति और क्षमता,

पक्षकारों का आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियाँ,

जैसा कि अदालत को उचित लग सकता है।

(2) यदि जिला न्यायालय संतुष्ट है कि परिवर्तन हुआ है

किसी भी समय किसी भी पक्ष की परिस्थितियों के बाद

उप-धारा (1) के अधीन आदेश, वह, दोनों में से किसी एक के आग्रह पर,

पक्षकार, इस तरह के किसी भी आदेश को इस तरह से परिवर्तित, संशोधित या रद्द करता है

जैसा कि अदालत को उचित लग सकता है। (3) यदि जिला न्यायालय संतुष्ट है कि पत्नी जिसके पक्ष में है

इस धारा के तहत एक आदेश दिया गया है कि उसने पुनर्विवाह किया है या

एक पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, यह, के उदाहरण पर हो सकता है

ऐसे किसी भी आदेश में परिवर्तन, संशोधन या रद्द करना और

जिस तरह से अदालत उचित समझे।

**

(ख) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ("एच. एम. ए".)

एच. एम. ए. एक पूर्ण संहिता है जो दो हिंदुओं के बीच विवाह से उत्पन्न होने वाले अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का प्रावधान करती है। अनुभाग

24 और 25 ऐसे पक्षकार के भरण-पोषण के लिए प्रावधान करें जिसके पास अपने समर्थन और आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है। यह एक लिंग-तटस्थ प्रावधान है, जहां या तो पत्नी या

पति भरण-पोषण का दावा कर सकता है। पूर्व-आवश्यकता यह है कि आवेदक के पास स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके या उसके समर्थन के लिए पर्याप्त है।

एच. एम. ए. की धारा 24 में रखरखाव लटकन लाइट का प्रावधान है,

जहाँ न्यायालय प्रत्यर्थी को राजेश v के खर्चों का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

ऐसी उचित मासिक राशि का भुगतान करना और भुगतान करना, जिसे माना जाता है

उचित, दोनों पक्षों की आय को ध्यान में रखते हुए।

धारा 24 इस प्रकार हैः

" 24. रखरखाव लटकन और खर्च

कार्यवाही।

जहाँ इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में यह अदालत को दिखाई देता है कि या तो पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो,

उसके या उसके समर्थन के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं और

कार्यवाही के आवश्यक खर्चों पर, वह

याचिकाकर्ता को कार्यवाही के खर्चों का भुगतान करना, और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि, जो

याचिकाकर्ता की अपनी आय और प्रतिवादी की आय,

बशर्ते कि खर्चों के भुगतान के लिए आवेदन कार्यवाही और इस दौरान ऐसी मासिक राशि

जहां तक संभव हो, कार्यवाही का निपटान किया जाएगा।

पत्नी या पति पर नोटिस की तामील की तारीख से साठ दिन

पति, जैसा भी मामला हो। "

(जोर दिया गया)

60 दिनों की समय सीमा प्रदान करने के लिए धारा 24 का परंतुक

आवेदन का साल 2001 के डब्ल्यू. ई. एफ. के अधिनियम 49 के माध्यम से जोड़ा गया था। 2001 .

धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान करती है, जो इस प्रकार हैः

के रूप में:

" 25. स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव

(1) इस अधिनियम के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय,

किसी डिक्री को पारित करने का समय या उसके बाद के किसी भी समय

यथास्थिति, पत्नी या पति आदेश देते हैं कि - प्रत्यर्थी आवेदक को उसके भरण-पोषण के लिए भुगतान करेगा

और ऐसी सकल राशि या ऐसी मासिक या आवधिक राशि का समर्थन करें।

आवेदक के जीवन से अधिक नहीं होने वाली अवधि के लिए राशि,

प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य संपत्ति के संबंध में, यदि आवेदक की आय और अन्य संपत्ति,

न्यायालय को उचित लग सकता है, और ऐसा कोई भी भुगतान हो सकता है यदि आवश्यक हो, तो अचल पर शुल्क लगाया जाए।

प्रत्यर्थी की संपत्ति।

किसी भी समय किसी भी पक्ष की परिस्थितियों के बाद उप-धारा (1) के अधीन आदेश, वह दोनों में से किसी एक के आग्रह पर

पक्षकार, इस तरह के किसी भी आदेश को इस तरह से परिवर्तित, संशोधित या रद्द करता है

जैसा कि अदालत उचित समझ सकती है।

(3) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि वह पक्ष जिसके पक्ष में इस धारा के तहत आदेश दिया गया है कि उसने पुनर्विवाह किया है या, यदि

ऐसा पक्ष पत्नी है, कि वह पवित्र नहीं रही है, या, यदि ऐसा पक्ष पति है, कि उसने संभोग किया है

विवाह के बाहर किसी भी महिला के साथ, यह के उदाहरण पर हो सकता है अन्य पक्ष इस तरह के किसी भी आदेश में परिवर्तन, संशोधन या रद्द करता है।

जिस तरह से अदालत उचित समझे।

(जोर दिया गया)

एच. एम. ए. की धारा 26 में प्रावधान है कि न्यायालय समय-समय पर

नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, रखरखाव और शिक्षा के संबंध में अंतरिम आदेश पारित करें।

(ग) हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 ("हामा") एच. ए. एम. ए. एक विशेष कानून है जिसे संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था और

विवाह के निर्वाह के दौरान हिंदुओं के बीच गोद लेने और भरण-पोषण से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करें। धारा 18 में प्रावधान है कि एक हिंदू पत्नी अपने जीवनकाल के दौरान अपने पति द्वारा बनाए रखने की हकदार होगी। वह अपने भरण-पोषण के अधिकार को खोए बिना एक अलग निवास के लिए दावा करने की हकदार है। धारा 23 के संयोजन में पठित धारा 18 में कहा गया है कि धारा की मात्रा निर्धारित करने के लिए जिन कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है। रखरखाव का भुगतान करना। धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत, पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का पालन-पोषण करे, भले ही वह जीवित हो।

अलग से। अलग निवास और रखरखाव का अधिकार होगा

हालाँकि यह उपलब्ध नहीं होगा यदि पत्नी अनैतिक रही है, या उसने किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण किया है।

धारा 18 इस प्रकार है:

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

" 18. पत्नी का भरण-पोषण।

(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन, एक हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में विवाहित हो, इस अवधि के दौरान अपने पति द्वारा बनाए रखने की हकदार होगी।

उसका जीवनकाल। (2) एक हिंदू पत्नी को उससे अलग रहने का अधिकार होगा।

भरण-पोषण के अपने दावे को खोए बिना पति

(क) यदि वह परित्याग का दोषी है, अर्थात परित्याग का

उचित कारण के बिना और उसकी सहमति के बिना या

उसकी इच्छा के खिलाफ या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करना; (ख) यदि उसने उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जिससे उसके मन में एक उचित आशंका पैदा हो कि उसके पति के साथ रहना हानिकारक या हानिकारक होगा;

(ग) [* * * *]

(घ) यदि उसकी कोई अन्य पत्नी जीवित है;

(ई) यदि वह उसी घर में एक रखैल रखता है जिसमें उसकी पत्नी रह रही है या आदतन कहीं और रखैल के साथ रहता है;

(च) यदि वह दूसरे में धर्मांतरण करके हिंदू नहीं रह गया है

धर्म;

(3) हिंदू पत्नी को अलग निवास का अधिकार नहीं होगा। और अपने पति से भरण-पोषण यदि वह असभ्य है या बंद हो जाती है

दूसरे धर्म में परिवर्तित होकर हिंदू बनना।

एच. एम. ए. और एच. ए. एम. ए. के तहत भरण-पोषण के बीच अंतर यह है कि एच. ए. एम. ए. की धारा 18 के तहत अधिकार पक्षकारों के बीच लंबित किसी भी वैवाहिक कार्यवाही के बिना विवाह के निर्वाह के दौरान उपलब्ध है। एक बार तलाक हो जाने के बाद, पत्नी को HMA.[3] की धारा 25 के तहत राहत लेनी होगी।

एच. एम. ए. के तहत, या तो पत्नी, या पति, न्यायिक याचिका दायर कर सकते हैं।

अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, विवाह का विघटन, धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान और स्थायी गुजारा भत्ताअधिनियम की धारा 25, जबकि एचएएमए की धारा 18 के तहत, केवल एक पत्नी

रखरखाव की मांग कर सकते हैं।

पंडितराव चिमाजी कलुरे बनाम गयाबाई (2002) 2 माह एलजे 53।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच. एम. ए. और आई. ए. के तहत भरण-पोषण के दावे के बीच परस्पर संबंध चांद वान बनाम जवाहरलाल धवन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार के लिए आया। 4 सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित विभिन्न कानूनों को रद्द करते हुए एच. एम. ए. और एच. ए. एम. ए. के तहत आवेदनों के दायरे को इन शब्दों में स्पष्ट कियाः

" 23. ..... हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 18 (1) एक हिंदू पत्नी को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार देती है।

उसके जीवन-काल के दौरान उसका पति। धारा 18 की उप-धारा (2) उसे जब्त किए बिना अलग रहने का अधिकार देती है। रखरखाव के लिए उसका दावा, यदि वह किसी के लिए दोषी है

दुर्व्यवहार की गिनती उसमें या उसमें उल्लिखित आपत्तिजनक परिस्थितियों में से एक में होने के कारण की गई है। तो। अपनी शादी को बनाए रखते हुए और अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखते हुए

स्थिति, पत्नी उससे भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है

पति। दूसरी ओर, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, इसके विपरीत, रखरखाव के लिए उसका दावा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 से 14 के तहत परिकल्पित प्रकार के मुकदमे के लंबित होने पर आधारित है, और स्थायी रखरखाव या गुजारा भत्ता के लिए उसका दावा इस धारणा पर आधारित है कि या तो उसकी वैवाहिक स्थिति तनावग्रस्त हो गई है या प्रभावित हुई है।

उसके पक्ष या विपक्ष में वैवाहिक अधिकारों या न्यायिक अलगाव की बहाली के लिए एक डिक्री पारित करना, या उसकी शादी रद्द करने या तलाक के डिक्री द्वारा भंग हो जाती है, साथ या बिना

राहत के हकदार पक्ष द्वारा उस ओर से आवेदन। अदालत ने बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए आदेश को बदलने या बदलने की शक्ति को बरकरार रखा है। इस प्रकार पूरा अभ्यास एक रोगग्रस्त या टूटी हुई शादी के दायरे में है। और धारणाओं के टकराव से बचने के लिए विधायिका जबकि हिंदू विवाह अधिनियम को संहिताबद्ध करने के अधिकार को संरक्षित किया गया

3) 3 एससीसी 406।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

पति या पत्नी के पक्ष में स्थायी भरण पोषण,

वैवाहिक स्थिति को प्रभावित किए बिना अन्य शब्द या; हिंदू विवाह के तहत वैवाहिक अदालत द्वारा विवादित

अधिनियम के अनुसार स्थायी गुजारा भत्ता का दावा वैध नहीं था

भरण-पोषण के लिए पत्नी के दावे को तब अनिवार्य रूप से उत्तेजित करना होगा हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 के तहत

यह हिंदू धर्म की तुलना में बाद में एक विधायी उपाय है

विवाह अधिनियम, 1955, हालांकि उसी सामाजिक-कानूनी का हिस्सा है। हिंदुओं के लिए लागू कानून में क्रांति लाने वाली योजना। ... .

(जोर दिया गया)

एच. ए. एम. ए. की धारा 19 में प्रावधान है कि एक विधवा बेटी -

कानून अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकता है यदि (i) वह अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है; या, (ii) जहां उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, वह भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है; (क) अपने पति, या अपने पिता या माता की संपत्ति से, या (ख) अपने बेटे या बेटी, यदि कोई हो, या अपनी संपत्ति से। एच. ए. एम. ए. की धारा 20 बच्चों और वृद्ध माता-पिता के रखरखाव का प्रावधान करती है। धारा 20 एक वैधानिक प्रावधान करती है।

एक हिंदू पुरुष पर एक अविवाहित बेटी को बनाए रखने का दायित्व, जो अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। अभिलाषा बनाम प्रकाश और अन्य में। , 5 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि धारा 20 (3) हिंदू कानून के सिद्धांतों की मान्यता है।

विशेष रूप से एक अविवाहित बेटी को बनाए रखने के लिए पिता का दायित्व। यह अधिकार व्यक्तिगत कानून के तहत निरपेक्ष है, जिसे इस अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है। न्यायालय ने यू/एस बच्चों को भरण-पोषण के पुरस्कार के बीच के अंतर को नोट किया। 125 Cr.P.C., जो एक बच्चे के रखरखाव के दावे को तब तक सीमित करता है, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता। हालाँकि, यदि एक अविवाहित बेटी किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता के कारण है या

चोट, धारा 125 (1) (सी) के तहत खुद को बनाए रखने में असमर्थ, पिता उसके वयस्क होने के बाद भी उसे बनाए रखने के लिए बाध्य होगा। एच. ए. एम. ए. के तहत विचारित रखरखाव एक व्यापक अवधारणा है। धारा 3 (बी) में विवाह के खर्च सहित भरण-पोषण की एक समावेशी परिभाषा शामिल है। धारा 125 का उद्देश्य और उद्देश्य संक्षिप्त कार्यवाही में पत्नी और बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करना है। 5 आपराधिक अपील No.615/2020 में 15.10.2020 पर निर्णय लिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच. ए. एम. ए. की धारा 3 (बी) के साथ पठित धारा 20 के तहत एक बहुत अधिक अधिकार पर विचार किया जाता है, जिसके लिए एक दीवानी अदालत द्वारा निर्धारण की आवश्यकता होती है।धारा 22 आश्रितों के रखरखाव का प्रावधान करती है। धारा 23 में कहा गया है कि भरण-पोषण प्रदान करते समय, न्यायालय को उसमें उल्लिखित मानदंडों का पालन करना होगाः

" 23. रखरखाव की राशि।

(1) यह निर्धारित करना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा कि क्या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई और यदि ऐसा है तो क्या भरण-पोषण दिया जाएगा, और ऐसा करने में, न्यायालय को, जहां तक मामला हो, उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्धारित विचार पर उचित ध्यान देना होगा।

इस अधिनियम को ध्यान में रखना होगा (क) पक्षकारों की स्थिति और स्थिति;

((ख) दावेदार की उचित इच्छाएँ;

(ग) यदि दावेदार अलग रह रहा है, तो क्या दावेदार है

ऐसा करने में न्यायसंगत;

((घ) दावेदार की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति से प्राप्त कोई आय, या दावेदार की अपनी कमाई या

किसी अन्य स्रोत से;

(ई) इसके तहत भरण-पोषण के हकदार व्यक्तियों की संख्या

एक्ट करें।

(3) इस अधिनियम के तहत किसी आश्रित को दिए जाने वाले रखरखाव की राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण करते समय, ध्यान रखा जाएगा।

को (क) प्रदान करने के बाद मृतक की संपत्ति का शुद्ध मूल्य

अपने ऋणों के भुगतान के लिए;

(ख) मृतक की वसीयत के तहत किया गया प्रावधान, यदि कोई हो।

आश्रित का सम्मान;

((ग) दोनों के बीच संबंधों की मात्रा;

((घ) आश्रित की उचित इच्छाएँ; राजेश v.

नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

(ई) आश्रित और मृतक के बीच पिछले संबंध; (च) आश्रित की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति से या उसकी कमाई से प्राप्त कोई आय, या

किसी अन्य पाठ्यक्रम से;

(छ) इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के हकदार आश्रितों की संख्या।

(घ) Cr.P.C की धारा 125।

पति की वित्तीय क्षमता और अन्य प्रासंगिक कारकों का आधार। धारा 125 द्वारा प्रदान किया गया उपाय संक्षिप्त प्रकृति का है, और विवाह के विघटन के संबंध में मूल विवाद हो सकते हैं -

एक उपयुक्त कार्यवाही में एक दीवानी अदालत/परिवार अदालत द्वारा निर्धारित,

जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1956।

भगवान दत्त बनाम कमला देवी में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 125 (1) Cr.P.C के तहत केवल एक पत्नी जो "अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है" भरण-पोषण की मांग करने की हकदार है। न्यायालय ने कहाः

" 19. इन प्रावधानों का उद्देश्य लापरवाही को रोकना है।

और निर्धनता, मजिस्ट्रेट को यह पता लगाना होता है कि जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पत्नी द्वारा क्या आवश्यक है जो न तो विलासितापूर्ण है और न ही दयनीय है, बल्कि परिवार की स्थिति के साथ मामूली रूप से सुसंगत है। इस तरह के मध्यम जीवन के लिए पत्नी की जरूरतों और आवश्यकताओं को उचित रूप से तभी निर्धारित किया जा सकता है जब उसकी अलग आय को भी ध्यान में रखा जाए। पति और उसकी कमाई के साथ

प्रतिबद्धताएँ "।

(जोर दिया गया)

6 (1975) 2 एससीसी 386।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2001 में धारा 125 के संशोधन से पहले, एक सीमा थी

उस राशि पर जो रखरखाव के रूप में प्रदान की जा सकती है, रु। 500 " पूरे में "। जीवन यापन की बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति की दरों को देखते हुए, रुपये की अधिकतम सीमा। 500 2001 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। द.

संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने से पहले कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। नतीजतन, संशोधन अधिनियम ने "अंतरिम रखरखाव" के अनुदान के लिए एक स्पष्ट प्रावधान पेश किया। मजिस्ट्रेट के पास प्रत्यर्थी को याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम रखरखाव के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश देने की शक्ति थी। धारा 125 की उप-धारा (2) के तहत, न्यायालय को इस तिथि से रखरखाव का भुगतान करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है -

आदेश, या आवेदन की तारीख से।

संशोधित धारा 125 के तीसरे प्रावधान के तहत, अंतरिम रखरखाव के अनुदान के लिए आवेदन का यथासंभव निपटान किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी को नोटिस की सेवा की तारीख से साठ दिनों के भीतर।

संशोधित धारा 125 इस प्रकार है:

" 125. पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के रखरखाव के लिए आदेश।

(ख) उसका वैध या अवैध नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो। या नहीं, खुद को बनाए रखने में असमर्थ, या

(ग) उसका वैध या अवैध बच्चा (विवाहित बेटी नहीं होने के नाते) जो वयस्क हो गया है, जहां ऐसा बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण सक्षम नहीं है।

स्वयं को बनाए रखने के लिए, या

(घ) उसका पिता या माता, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के प्रमाण पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, ऐसी मासिक दर पर जो ऐसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, और उसी का भुगतान ऐसे व्यक्ति को करने का आदेश दे सकता है जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देश दे:

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट खंड (बी) में निर्दिष्ट नाबालिग लड़की के पिता को ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, रजनीश v.

जब तक वह अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर लेती, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी नाबालिग महिला बच्चे के पति, यदि विवाहित हैं, के पास पर्याप्त साधन नहीं हैंः

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, विचाराधीनता के दौरान

मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही इस उप-धारा के तहत रखरखाव, ऐसे व्यक्ति को आदेश दें

अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माँ के अंतरिम भरण-पोषण और ऐसी कार्यवाही के खर्चों के लिए मासिक अनुमति दें जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझता है, और उसी का भुगतान ऐसे व्यक्ति को करने के लिए जो मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देश देः

बशर्ते कि दूसरे परंतुक के तहत कार्यवाही के अंतरिम रखरखाव और खर्च के लिए मासिक भत्ते के लिए एक आवेदन, जहां तक संभव हो, का निपटारा किया जाएगा।

ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की सेवा की तारीख से साठ दिनों के भीतर।

स्पष्टीकरण। – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,

(क) "नाबालिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय बहुसंख्यक अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के प्रावधानों के तहत ऐसा माना जाता है कि उसने अपना बहुमत प्राप्त नहीं किया है; (ख) "पत्नी" में एक ऐसी महिला शामिल है जिसका अपने पति से तलाक हो गया है या जिसने उससे तलाक ले लिया है और जिसने तलाक नहीं लिया है।

दोबारा शादी कर ली।

(2) रखरखाव या अंतरिम के लिए ऐसा कोई भत्ता

रखरखाव और कार्यवाही के खर्च का भुगतान आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया गया है, तो रखरखाव या अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदन की तारीख से देय होगा और

(3) यदि इस प्रकार आदेश दिया गया कोई व्यक्ति आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है, तो ऐसा कोई मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए, जुर्माना लगाने के लिए प्रदान किए गए तरीके से देय राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को पूरे या प्रत्येक महीने के किसी भी हिस्से के लिए सजा दे सकता है। रखरखाव या अंतरिम रखरखाव और कार्यवाही के खर्चों के लिए भत्ता, जैसा भी मामला हो, वारंट के निष्पादन के बाद अवैतनिक रहना, कारावास

एक अवधि के लिए जो एक महीने तक या भुगतान तक बढ़ सकती है यदि

जल्दी बनाया गयाः बशर्ते कि वसूली के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा

इस धारा के तहत देय कोई भी राशि जब तक कि आवेदन नहीं किया जाता है

न्यायालय को एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी राशि वसूलने के लिए

जिस तारीख को यह देय हुआः आगे कहा गया है कि

उसके साथ रहना, और वह उसके साथ रहने से इनकार कर देती है, जैसे मजिस्ट्रेट उसके द्वारा बताए गए इनकार के किसी भी आधार पर विचार कर सकता है,

और इसके बावजूद इस धारा के तहत आदेश दे सकता है

ऐसा प्रस्ताव, यदि वह संतुष्ट है कि इसके लिए उचित आधार है

करते हैं। स्पष्टीकरण। – अगर किसी पति ने शादी कर ली है

एक अन्य महिला या एक मालकिन रखता है, यह माना जाएगा

(4) कोई भी पत्नी भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगी। रखरखाव या अंतरिम रखरखाव और खर्च

यथास्थिति, उसके पति से इस के अधीन कार्यवाही

कारण, वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे हैं आपसी सहमति से अलग रहना।

(5) इस बात के प्रमाण पर कि कोई भी पत्नी जिसके पक्ष में आदेश दिया गया है

इस धारा के तहत बनाया गया व्यभिचार में रह रहा है, या उसके बिना

पर्याप्त कारण है कि वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या कि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, मजिस्ट्रेट

आदेश को रद्द कर देगा। "

(जोर दिया गया)

चतुर्भुज बनाम सीताबाई 'में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

किरायेदारी की कार्यवाही किसी व्यक्ति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करने के लिए नहीं है, लेकिन

उसे प्रदान करके एक परित्यक्त पत्नी की व्यभिचरता और अभाव की घटना

शीघ्र उपचार द्वारा कपड़े और आश्रय। Cr.P.C की धारा 125।

सामाजिक न्याय की सुगमता विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियमित और

यह संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा अधिकृत अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आता है।

3) 2 एससीसी 316।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

Cr.P.C की धारा 125 के तहत कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त हैं। भुवन मोहन सिंह बनाम मीना और अन्य। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

कि आई. डी. 1 की धारा 125 की कल्पना एक महिला की पीड़ा, पीड़ा, वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए की गई थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, ताकि उसे अपना और बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके। चूँकि पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है, इसलिए पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाना पड़ता था, यदि वह सक्षम है और अपने दायित्व से बच नहीं सकता है, सिवाय किसी कानूनी दायित्व के। कानून में उल्लिखित अनुमेय आधार।

यह मुद्दा कि क्या विवाह की धारणा तब उत्पन्न होती है जब पक्ष लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जो यू/एस के दावे को जन्म देगा। 125 Cr.P.C. चानमुनिया बनाम विरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा और अन्र में विचार के लिए आया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां एक पुरुष और एक महिला ने लंबे समय तक सहवास किया है, एक वैध विवाह की कानूनी आवश्यकताओं के अभाव में, ऐसी महिला भरण-पोषण की हकदार होगी। एक पुरुष को कानूनी खामियों से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, एक वास्तविक विवाह के लाभों का आनंद लेते हुए, इस तरह के विवाह के कर्तव्यों और दायित्वों को किए बिना। "पत्नी" शब्द की एक व्यापक और विस्तृत व्याख्या दी जानी चाहिए, ताकि उन मामलों को भी शामिल किया जा सके जहां एक पुरुष और महिला उचित रूप से लंबे समय से पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। भरण-पोषण के अनुदान के लिए विवाह का सख्त प्रमाण एक पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। 125 Cr.P.C. न्यायालय ने 2003 में प्रकाशित आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर मलिमथ समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि एक पुरुष और महिला के उचित रूप से लंबी अवधि के लिए एक साथ रहने के संबंध में सबूत, आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

विवाह की धारणा। कानून विवाह के पक्ष में और रखैल के खिलाफ मानता है, जब एक पुरुष और महिला कई वर्षों तक लगातार सहवास करते हैं।

वैवाहिक कार्यवाहियों के विपरीत जहां विवाह का सख्त प्रमाण आवश्यक है, यू/एस की कार्यवाहियों में। 125 Cr.P.C. प्रमाण का ऐसा सख्त मानक नहीं है

10

आवश्यक है।

8 (2015) 6 एससीसी 353। 9 (2011) 1 एससीसी 141। यह फैसला एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

10 कमला और ओआरएस। वी. एम. आर. मोहन कुमार (2019) 11 एससीसी 491।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ङ) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 ("डी. वी. अधिनियम") डी. वी. अधिनियम ऊपर चर्चा किए गए कानूनों से अलग आधार पर खड़ा है। डी. वी. अधिनियम एक पीड़ित महिला को राहत प्रदान करता है जो

"घरेलू हिंसा" के अधीन है। "पीड़ित व्यक्ति" को धारा 2 (ए) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कोई भी महिला जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है, और आरोप लगाती है कि घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन। धारा 2 (च) "घरेलू संबंध" को उन दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है जो एक साझा घर में रहते हैं, या किसी भी समय एक साथ रहते हैं, जब वे सहमति, विवाह, या विवाह, गोद लेने की प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधित होते हैं, या परिवार के सदस्य एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रह रहे होते हैं।

अधिनियम की धारा 2 (क्यू) में "प्रतिवादी" को एक "वयस्क पुरुष व्यक्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है या रहा है। पीड़ित महिला। हीराल पी. हरसोरा और ओआरएस में। वी कुसुम नरोत्तमदास

हरसोरा और ओआरएस "। 1 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "प्रत्यर्थी" पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में एक महिला भी हो सकती है। डी. वी. अधिनियम की धारा 3 "घरेलू हिंसा" को लिंग-तटस्थ परिभाषा देती है। महिलाओं द्वारा अन्य महिलाओं के खिलाफ शारीरिक शोषण, मौखिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक शोषण भी किया जा सकता है। यहां तक कि यौन शोषण भी

हो सकता है, एक दी गई तथ्य परिस्थिति में, एक महिला से दूसरी महिला हो। धारा 17 (2) में प्रावधान है कि पीड़ित व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार "प्रतिवादी" द्वारा "साझा घर" या इसके किसी भी हिस्से से बेदखल या बाहर नहीं किया जा सकता है। यदि "उत्तरदाता" है

केवल एक वयस्क पुरुष व्यक्ति के रूप में पढ़ी जाने वाली महिलाएँ जो पीड़ित व्यक्ति को बेदखल या बाहर करती हैं, तब अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगी।

और उन महिला व्यक्तियों को सामने रखकर, जो पीड़ित महिला को साझा घर से बेदखल या बाहर कर सकती हैं, उसी उद्देश्य को पराजित करती हैं। अदालत ने "व्यक्ति" शब्द से पहले "वयस्क पुरुष" शब्दों को खारिज कर दिया। 2005 के अधिनियम की धारा 2 (क्यू), और अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होने के कारण धारा 2 (क्यू) के परंतुक को हटा दिया।

अभिव्यक्ति "विवाह की प्रकृति में संबंध" एक सामान्य कानून या एक वास्तविक विवाह के समान होने के रूप में, डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैयम्मल में विचार के लिए आया था। 12 1 2 यह राय दी गई थी कि एक सामान्य कानून विवाह वह है जिसके लिए आवश्यक है कि हालांकि एक जोड़े को औपचारिक रूप से नहीं होना चाहिए

11 (2016) 10 एससीसी 165। 1 2 (2010) 10 एससीसी 469।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

शादीशुदाः (क) दंपति स्वयं को समाज के लिए पति या पत्नी के समान मानते हैं; (ख) पक्षकारों को शादी करने के लिए कानूनी उम्र का होना चाहिए; (ग) पक्षकारों को कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होना चाहिए, जिसमें शामिल हैं -

अविवाहित; और (घ) पक्षों ने स्वेच्छा से सहवास किया होगा, और एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए खुद को जीवनसाथी के समान होने के रूप में दुनिया के सामने रखा होगा। हालाँकि, सभी लिव-इन रिलेशनशिप डी. वी. अधिनियम का लाभ उठाने के लिए विवाह की प्रकृति के रिश्ते के बराबर नहीं होंगे।

" घरेलू हिंसा को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 1 (iv) के स्पष्टीकरण में परिभाषित आर्थिक दुरुपयोग शामिल है। 3 , के रूप मेंः

" आर्थिक दुरुपयोग जिसका अर्थ है सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित होना, जिससे पीड़ित व्यक्ति पीड़ित है।

किसी भी कानून या प्रथा के तहत हकदार है, चाहे वह न्यायालय के आदेश के तहत देय हो या अन्यथा, या जिसकी पीड़ित व्यक्ति आवश्यकता से आवश्यकता करता है, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है -

पीड़ित व्यक्ति या उसके लिए घरेलू आवश्यकताएँ बच्चे "।

गैर-बाध्यकारी खंड की धारा 17 में यह प्रावधान है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को "साझा संबंध" में रहने का अधिकार होगा। परिवार ", चाहे उसका कोई भी अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित हो। धारा 17 इस प्रकार हैः

" 17. साझा घर में रहने का अधिकारः

(1) घर में कुछ भी शामिल होने के बावजूदः तत्काल लागू किसी अन्य कानून में, घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा।

13 (2013) 15 एससीसी 755।

0] 13 एस सी आर।

उसमें उसका कोई अधिकार, उपाधि या लाभकारी हित है या नहीं।

एक ही।

(2) पीड़ित व्यक्ति को बेदखल या बाहर नहीं किया जाएगा।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर प्रतिवादी द्वारा साझा परिवार या उसके किसी भी हिस्से से।

धारा 19 निवास आदेशों, निषेधाज्ञा राहतों के अनुदान, या प्रत्यर्थी द्वारा वैकल्पिक आवास/किराए के भुगतान से संबंधित है। सतीश चंदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा 1 4 मामले में इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने S.R.Batra बनाम तरुणा मामले में फैसले को खारिज कर दिया है।

बत्रा, 1 5 जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि पत्नी धारा 17 (1) के तहत "साझा घर" में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है, जिसका अर्थ केवल वह घर होगा जो पति से संबंधित है, या किराए पर लिया गया है, या वह घर जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित है जिसका पति सदस्य है। सतीश चंदर आहूजा (ऊपर) में, अदालत ने कहा है कि हालांकि S.R.Batra (ऊपर) के फैसले में धारा 2 (ओं) के तहत साझा घर की परिभाषा पर ध्यान दिया गया है, लेकिन यह परिभाषा के विभिन्न हिस्सों में विज्ञापन नहीं करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साझा घर की कोई आवश्यकता नहीं थी।

गृहस्थी जो अकेले या संयुक्त रूप से पति के स्वामित्व में हो, या पति द्वारा किराए पर लिया गया हो। यदि एस. आर. बत्रा में दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि धारा 2 (ओं) में "साझा परिवार" की परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा है। "साझा घर" वह घर है जो वर्तमान समय में पीड़ित व्यक्ति का निवास स्थान है। यदि "साझा" की परिभाषा

धारा 2 (ओं) में "गृहस्थ" का अर्थ उन सभी घरों से है जहां पीड़ित व्यक्ति पति के रिश्तेदारों के साथ घरेलू संबंध में रहा है, वहां कई साझा परिवार होंगे, जिन पर विधायी योजना द्वारा कभी विचार नहीं किया गया था। पूरी योजना

कानून पीड़ित व्यक्ति को उस साझा परिवार के संबंध में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए है जहां पीड़ित महिला रहती है या रह चुकी है। "किसी भी स्तर पर जीवित है" अभिव्यक्ति का उपयोग केवल एक पीड़ित महिला को सुरक्षा से इनकार करने के इरादे से नहीं किया जाता है। इस आधार पर कि वह आवेदन की तारीख को या उस तारीख को वहां नहीं रह रही थी जब मजिस्ट्रेट ने यू/एस के तहत आदेश पारित किया था। 19. "जीवन, या किसी भी स्तर पर घरेलू संबंध में रहा है" शब्दों को इसका सामान्य और उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए। एक घर में महिला का रहना

14 माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने सी. ए. सं. <आई. डी. 3 में 15.10.2020 पर निर्णय लिया।

5 (2007) 3 एस. सी. सी. 169।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

एक ऐसे जीवन को संदर्भित करना चाहिए जिसमें कुछ स्थायित्व हो। केवल क्षणभंगुर या

अलग-अलग स्थानों पर अनौपचारिक रूप से रहने से यह एक साझा घर नहीं बन जाएगा। पक्षकारों के इरादे और घर की प्रकृति सहित रहने की प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पक्षकारों का इरादा परिसर को "साझा घर" के रूप में मानने का है या नहीं। धारा 2 (ओं) आर. डब्ल्यू. धारा 17 और 19 एक पीड़ित महिला को "साझा घर" में रहने का अधिकार प्रदान करती है, भले ही उसका उसमें कोई कानूनी हित हो या न हो। "पीड़ित व्यक्ति" और "प्रतिवादी" की परिभाषा से यह स्पष्ट था किः

(i) यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति या तो संयुक्त रूप से या अकेले परिसर का मालिक हो सकता है, या इसे किराए पर ले सकता है।

संयुक्त रूप से या अकेले,

((ii) परिवार एक संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें प्रतिवादी एक सदस्य है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति को कोई अधिकार, शीर्षक या अधिकार हो।

साझा घर में ब्याज;

((iii) साझा परिवार या तो स्वामित्व में हो सकता है, या उसके द्वारा किराए पर लिया जा सकता है।

उत्तरदाता अकेले या संयुक्त रूप से।

यू/एस में रहने का अधिकार। 19 हालाँकि, यह एक अक्षम्य अधिकार नहीं है, विशेष रूप से जब एक बहू बूढ़े सास-ससुर के खिलाफ अधिकार का दावा कर रही हो। यू/एस राहत देते समय। 12 डी. वी. अधिनियम, या किसी भी दीवानी कार्यवाही में, अदालत को पीड़ित महिला और सास-ससुर के बीच अधिकारों को संतुलित करना होता है।

धारा 20 पीड़ित महिला को मौद्रिक राहत प्रदान करती हैः

" 20. मौद्रिक राहत।

(1) धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को किए गए खर्चों और नुकसान को पूरा करने के लिए मौद्रिक राहत का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

पीड़ित व्यक्ति और उसके किसी भी बच्चे द्वारा पीड़ित

घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति और इस तरह

राहत में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है,
((क) आय का नुकसान;

((ख) चिकित्सा व्यय;

(ग) पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी भी संपत्ति के विनाश, क्षति या हटाने के कारण होने वाला नुकसान; और [2020] 13 एस. सी. आर.

(घ) पीड़ित व्यक्ति के साथ-साथ उसके लिए भरण-पोषण

बच्चे, यदि कोई हो, जिसमें एक आदेश के तहत या उसके अलावा एक आदेश शामिल है

संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव का आदेश

दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) या इसके लिए कोई अन्य कानून

(2) इस धारा के तहत दी गई मौद्रिक राहत होगी - पर्याप्त, निष्पक्ष और उचित और मानक के अनुरूप

जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति अभ्यस्त है।

मामला की प्रकृति और परिस्थितियों के रूप में रखरखाव आवश्यकता है। "

(जोर दिया गया)

धारा 20 (1) (डी) में प्रावधान है कि डी. वी. के तहत रखरखाव प्रदान किया गया है।

पीड़ित महिला और बच्चों के लिए अधिनियम, आई. डी. 1 की धारा 125 के तहत दिए गए भरण-पोषण के आदेश या किसी अन्य लागू कानून के अलावा प्रभावी होगा।

धारा 20 की उप-धारा (6) के तहत, मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है -

प्रत्यर्थी के नियोक्ता या देनदार, पीड़ित व्यक्ति को सीधे भुगतान करने के लिए, या न्यायालय में प्रत्यर्थी को देय या उपार्जित मजदूरी या वेतन या ऋण का एक हिस्सा जमा करें, जो राशि प्रत्यर्थी द्वारा देय मौद्रिक राहत के लिए समायोजित की जा सकती है।

धारा 22 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट एक आदेश पारित कर सकता है जिसमें निर्देश दिया गया हो

प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण मानसिक यातना और भावनात्मक संकट सहित चोटों के लिए मुआवजे और हर्जाने का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी।

धारा 23 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट एकतरफा मंजूरी दे सकता है।

मौद्रिक राहत के लिए धारा 20 के तहत एक आदेश सहित। मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि पीड़ित महिला द्वारा दायर आवेदन से पता चलता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा कर रहा है, या उसने घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया है, या इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है। ऐसे मामले में, मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र के आधार पर एकतरफा आदेश पारित करने का अधिकार है - पीड़ित महिला।

डी. वी. अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि इसके तहत उपलब्ध कोई भी राहत किसी भी कानूनी कार्यवाही में धारा 18,19,20,21 और 22 की भी मांग की जा सकती है।

नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

दीवानी अदालत, पारिवारिक अदालत या आपराधिक अदालत के समक्ष। धारा 26 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) में उल्लिखित राहत किसी अन्य राहत के अलावा और उसके साथ मांगी जा सकती है जो पीड़ित व्यक्ति किसी दीवानी या आपराधिक के समक्ष मुकदमे या कानूनी कार्यवाही में मांग सकता है।

धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि डी. वी. अधिनियम किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा, न कि अवमूल्यन में। बल देते हैं।

अतिव्यापी अधिकारिता पर परस्पर विरोधी निर्णय

(i) कुछ उच्च न्यायालयों का विचार है कि चूंकि प्रत्येक कार्यवाही दूसरे से अलग और स्वतंत्र है, इसलिए एक में भरण-पोषण प्रदान किया जाता है।

कार्यवाही को दूसरे में समायोजित या बंद नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अशोक सिंह पाल बनाम मंजुलता, 1 6 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एच. एम. ए. की धारा 24 के तहत एक व्यथित व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपचार Cr.P.C की धारा 125 से स्वतंत्र हैं। दोनों कार्यवाहियों में प्रदत्त राशियों के समायोजन के लिए पति द्वारा दायर एक आवेदन में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह प्रश्न कि क्या समायोजन दिया जाना है, न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला न्यायिक विवेकाधिकार का विषय है। अंगूठे के नियम के रूप में सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है जो एक के रूप में नीचे रखा गया है

यू/एस से सम्मानित। 125 Cr.P.C. को एच. एम. ए. की धारा 24 के तहत दी गई राशि से निर्धारित किया जाना चाहिए, या इसके विपरीत। इसी तरह का दृष्टिकोण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश ने मोहन स्वरूप चौहान बनाम मोहिनी मामले में लिया था। 1 7

इसी तरह, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुजीत अधिकारी बनाम तुलिका मामले में

अधिकारी ने कहा कि समायोजन कोई नियम नहीं है। यह माना गया था कि मात्रा

एच. एम. ए. के तहत न्यायालय द्वारा निर्धारित रखरखाव को रखरखाव की मात्रा में जोड़ा जाना आवश्यक है। 125 Cr.P.C।

चन्द्र मोहन दास बनाम तपती में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया है।

धारा 1 9, जिसमें इस मुद्दे पर एक चुनौती दी गई थी कि न्यायालय को

16 आकाशवाणी 2008 एम. पी. 139.

17 (2016) 2 एम. पी. एल. जे. 17. 18 (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 15484। 19 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 9554।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 24 के तहत दिए जाने वाले रखरखाव का निर्धारण करते हुए S.125 Cr.P.C के तहत कार्यवाही में दी गई राशि को समायोजित करना। एचएमए, 1955। यह अभिनिर्धारित किया गया कि एच. एम. ए. की धारा 24 के तहत निर्धारित रखरखाव की मात्रा का भुगतान S.125 Cr.P.C के तहत एक कार्यवाही में दिए गए रखरखाव के अलावा किया जाना था।

((ii) दूसरी ओर, बम्बई और दिल्ली उच्च न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि समानांतर कार्यवाहियों के मामले में समायोजन या स्थगन अवश्य होना चाहिए।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विशाल बनाम अपर्णा और अन्न मामले में एक सुविचारित निर्णय दिया। , 20 20 ने सही दृष्टिकोण लिया है। न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या अंतरिम मासिक भरण-पोषण दिया गया है।

धारा 23 आर. डब्ल्यू. के तहत डी. वी. अधिनियम की धारा 20 (1) (डी) को धारा 125 Cr.P.C के तहत दिए गए भरण-पोषण के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।

अदालत ने माना कि आदेश डी. वी. अधिनियम और Cr.P.C के तहत पारित किया गया था।

दोनों स्वतंत्र कार्यवाही थीं, और समायोजन की अनुमति नहीं थी। बंबई उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया और कहा कि डी. वी. अधिनियम की धारा 20 (1) (डी) यह स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के तहत दिया गया भरण-पोषण, धारा 125 Cr.P.C के तहत भरण-पोषण के आदेश और उस समय लागू किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होगा। डी. वी. अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (3) पीड़ित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट को सूचित करने का आदेश देती है, यदि उसने प्राप्त किया है।

धारा 18,19,20,21 और 22 के तहत उपलब्ध कोई राहत, उसके द्वारा दायर किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में, चाहे वह दीवानी न्यायालय, परिवार न्यायालय के समक्ष हो, या आपराधिक न्यायालय। उद्देश्य यह है कि डी. वी. अधिनियम के तहत राहत देते समय, मजिस्ट्रेट इस बात को ध्यान में रखेगा और विचार करेगा कि क्या पीड़ित व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई राहत प्राप्त की गई है। भले ही डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही हो सकती है, मजिस्ट्रेट किसी भी अन्य कानूनी कार्यवाही में दिए गए रखरखाव की अनदेखी नहीं कर सकता है, यह निर्धारित करते हुए कि क्या रखरखाव के अलावा और ऊपर है।

पहले से ही प्रदत्त, किसी भी अतिरिक्त राशि को लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए प्रदान करने की आवश्यकता थी।

न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 18. मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूं कि समायोजन की अनुमति है और अधिक राशि के मुकाबले कम राशि के समायोजन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि पत्नी कर सकती है एक साथ विभिन्न के तहत रखरखाव का दावा करें

20 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1207।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

अधिनियम, इसका किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं है कि पति

प्रत्येक में दिए गए रखरखाव का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है

उक्त कार्यवाहियों का "।

(जोर दिया गया)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि रखरखाव की मात्रा निर्धारित करते समय

यू/S.125 Cr.P.C. के तहत, मजिस्ट्रेट डी. वी. अधिनियम के तहत पीड़ित महिला को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण पर विचार करेगा।

एच. एम. ए. और डी. वी. के तहत अतिव्यापी क्षेत्राधिकार का मुद्दा।

आर. डी. बनाम बी. डी. 2 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष विचार के लिए अधिनियम या <आई. डी. 1. आया, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डी. वी. अधिनियम के तहत किसी व्यथित व्यक्ति को दिया गया भरण-पोषण अतिरिक्त होगा।

रखरखाव के आदेश के लिए यू/एस। 125 Cr.P.C., या HMA के तहत। विधायी अधिदेश में विभिन्न कानूनों के तहत पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। विधायिका का यह इरादा नहीं था कि एक बार रखरखाव की किसी भी कार्यवाही में कोई आदेश पारित हो जाने के बाद, आदेश किसी भी अन्य कार्यवाही में रखरखाव के मुद्दे पर फिर से निर्णय लेने पर रोक लगाएगा। निर्णय के पैराग्राफ 16 और 17 में यह देखा गया था किः

“ 16. उपर्युक्त धारा 20,26 और

36 डी. वी. अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से स्थापित करेंगे कि

रखरखाव से संबंधित डीवी अधिनियम इसके पूरक हैं

अन्य कानूनों के प्रावधान और इसलिए रखरखाव हो सकता है

डी. वी. अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति (ओं) को दिया गया जो

रखरखाव के किसी भी आदेश के अतिरिक्त भी होगा Cr.P.C की धारा 125 से बाहर।

17. इसके विपरीत, यदि परिवार द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है एच. एम. ए. की धारा 24 के तहत अदालत इस पर रोक नहीं लगाएगी

डी. वी. अधिनियम से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में न्यायालय या

पत्नी/द्वारा स्थापित Cr.P.C की धारा 125 के तहत कार्यवाही।

रखरखाव का दावा करने वाला व्यथित व्यक्ति। लेकिन, ऐसा नहीं हो सकता। कानून के एक प्रस्ताव के रूप में निर्धारित किया जाए कि एक बार का आदेश रखरखाव किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है तो वही किसी अन्य न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय नहीं दिया जा सकता है। द. विधायी अधिदेश में रखरखाव के अनुदान की परिकल्पना की गई है एच. एम. ए., हिंदू गोद लेने जैसे विभिन्न कानूनों के तहत पत्नी

21 2019 VII ई. (दिल्ली) 466।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और रखरखाव अधिनियम, 1956 (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

‘ हामा), Cr.P.C की धारा 125 के साथ-साथ DV की धारा 20

एक्ट करें। इस प्रकार प्रदान करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं

पत्नी के भरण-पोषण के लिए और यह कहीं भी इरादा नहीं है

विधायिका की कि एक बार कोई आदेश दोनों में से किसी में पारित किया जाता है कार्यवाही, उक्त आदेश फिर से निर्णय लेने पर रोक लगाएगा

किसी अन्य न्यायालय में भरण-पोषण का मुद्दा।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यू/एस। 20 (1) (घ) डी. वी. अधिनियम, रखरखाव

डी. वी. के तहत पीड़ित महिला को दिया जाने वाला पुरस्कार इसके अलावा है -

रखरखाव का आदेश यू/एस प्रदान किया गया। 125 <आई. डी. 1. डी. वी. अधिनियम के तहत रखरखाव का अनुदान यू/एस के तहत रखरखाव की मांग करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी। 24 एचएमए से।

इसी तरह, तनुश्री और ओआरएस में। v A.S.Moorthy, 2 2 दिल्ली हाई

अदालत एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें मजिस्ट्रेट की अदालत ने गलती की थी

कार्यवाहियों को यू/एस द्वारा स्थगित कर दिया गया। 125 <आई. डी. 1. इस आधार पर कि डी. वी. अधिनियम के तहत रखरखाव के लिए समानांतर कार्यवाही लंबित थी। एक में उच्च न्यायालय के समक्ष पत्नी द्वारा दायर अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि डी. वी. अधिनियम की धारा 20 (1) (डी) को पढ़ने से संकेत मिलता है कि यू/एस के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय। 12 डी. वी. अधिनियम,

न्यायालय यू/द्वारा पारित रखरखाव के आदेश को ध्यान में रखेगा।

धारा 125 Cr.P.C., या उस समय लागू कोई अन्य कानून। केवल यह तथ्य कि एक पक्ष द्वारा दो कार्यवाही शुरू की गई थी, इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना होगा। S.125, Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दायरे और शक्ति में अंतर है। और डी. वी. अधिनियम। दोनों कानूनों में अतिव्याप्त के संबंध में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

“ 5. डी. वी. अधिनियम की धारा 20 (1) (डी) को पढ़ने से आगे पता चलता है

कि दोनों कार्यवाहियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और

अलग दायरा है, हालांकि एक ओवरलैप है। जहाँ तक

ओवरलैप का संबंध है, कानून ने उस संभावना को पूरा किया है

और निर्धारित किया कि एक के विचार के समय

धारा 12 के तहत रखरखाव के अनुदान के लिए आवेदन

डी. वी. अधिनियम, धारा 125 Cr.P.C के तहत निर्धारित रखरखाव।

ध्यान में रखा जाएगा "।

(जोर दिया गया)

22 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7074।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

तलाक की कार्यवाही, राकेश मल्होत्रा बनाम कृष्णा मल्होत्रा मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई। 23 न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार स्थायी गुजारा भत्ता के लिए आदेश पारित हो जाने के बाद, वही हो सकता है उसी न्यायालय द्वारा अपनी यू/एस शक्ति का प्रयोग करके संशोधित किया गया। 25 (2) एचएमए से। न्यायालय ने कहा किः

" 16. चूँकि संसद ने अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत न्यायालय को अधिकार दिया है और एक उपाय बरकरार रखा है और संशोधन की मांग करने वाले संबंधित पक्ष को उपलब्ध कराया है,

तार्किक क्रम यह होगा कि इस प्रकार निर्धारित उपचार होना चाहिए।

ऐसी स्थिति जहां स्थिति की आवश्यकताओं और मामले में तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, एक पत्नी शुरू में खुद को बनाए रखने के लिए रखरखाव को सुरक्षित करने के लिए संहिता की धारा 125 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता देती है। ऐसे मामलों में पत्नी निश्चित रूप से किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष उठाए गए किसी भी चुनौती के रूप में पूर्ण निर्णय लेने की हकदार होगी। अधिनियम या इसी तरह के अधिनियम। लेकिन इसके विपरीत स्वीकृत मानदंड नहीं हो सकता है।

अदालत ने निर्देश दिया कि आवेदन यू/एस। 125 Cr.P.C. एक अनुप्रयोग यू/एस के रूप में माना जाए। 25 (2) एच. एम. ए. का निपटान किया जाए और तदनुसार किया जाए।

(iii) नागेंद्रप्पा नाटिकर बनाम नीलम्मा 24 में इस न्यायालय ने विचार किया

पति। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कार्यवाही यू/एस। 125 Cr.P.C. सारांश थे प्रकृति में, और पत्नी को एक त्वरित उपचार प्रदान करने का इरादा था। कोई भी आदेश यू/एस द्वारा पारित किया जाता है। 125 Cr.P.C. समझौता करके या अन्यथा उपचार यू/एस को बंद नहीं करेगा। 18 हामा का।

(iv) सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी 25 में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे मामले में समायोजन का निर्देश दिया जहां पत्नी ने Cr.P.C की धारा 125 के तहत और एच. एम. ए. के तहत आवेदन दायर किया था। एस. 125 में

23 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 239। 24 (2014) 14 एससीसी 452। 25 (1997) 11 एससीसी 286।

कार्यवाही में, उसने रखरखाव का आदेश प्राप्त किया था। इसके बाद, एच. एम. ए. के तहत कार्यवाही में, पत्नी ने गुजारा भत्ता मांगा। चूंकि पति भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए पत्नी ने वसूली की कार्यवाही शुरू की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 125 Cr.P.C के तहत दिए गए भरण-पोषण को एच. एम. ए. के तहत वैवाहिक कार्यवाही में दी गई राशि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए, और इसे इसके अलावा नहीं दिया जाना चाहिए।

अतिव्यापी क्षेत्राधिकारों पर निर्देश

यह अच्छी तरह से तय है कि एक पत्नी रखरखाव के लिए दावा कर सकती है।

विभिन्न कानूनों के तहत। उदाहरण के लिए, डी. वी. अधिनियम और आई. डी. 1 की धारा 125 के तहत या एच. एम. ए. के तहत भरण-पोषण की मांग करने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, पति को प्रत्येक कार्यवाही के तहत भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देना असमान होगा।

पिछली कार्यवाही। यदि पूर्व में स्थापित कार्यवाही में पत्नी को भरण-पोषण प्रदान किया जाता है, तो वह भरण-पोषण के लिए बाद की कार्यवाही में इसका खुलासा करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत है, जिसे किसी अन्य अधिनियम के तहत दायर किया जा सकता है। बाद की कार्यवाही में भरण-पोषण की मात्रा तय करते समय, दीवानी अदालत/परिवार न्यायालय किसी भी पूर्व स्थापित कार्यवाही में दिए गए भरण-पोषण को ध्यान में रखेगा, और दावेदार को देय भरण-पोषण का निर्धारण करेगा।

अतिव्यापी अधिकारिता के मुद्दे को दूर करने के लिए, और इससे बचने के लिए

विभिन्न कार्यवाहियों में विरोधाभासी आदेश पारित किए जाने पर, हम निर्देश देते हैं कि बाद की रखरखाव कार्यवाही में, आवेदक पिछली रखरखाव कार्यवाही और उसमें पारित आदेशों का खुलासा करेगा, ताकि न्यायालय पिछली कार्यवाही में पहले से ही दिए गए रखरखाव पर विचार करे और उक्त राशि का समायोजन या कटौती प्रदान करे। यदि पिछली कार्यवाही में पारित आदेश के लिए किसी की आवश्यकता है

संशोधन या परिवर्तन, पक्ष को पिछली कार्यवाही में संबंधित अदालत का रुख करने की आवश्यकता होगी।

II अंतरिम रखरखाव का भुगतान

एच. एम. ए. की धारा 24 का प्रावधान (अंतःस्थापित)

(1)

2001 के अधिनियम 49 डब्ल्यू. ई. एफ. 24.09.2001) और धारा 125 <आई. डी. 1. के तीसरे परंतुक (2001 डब्ल्यू. ई. एफ. 24.09.2001 के अधिनियम 50 द्वारा अंतःस्थापित) में यह प्रावधान है कि अंतरिम रखरखाव की कार्यवाही का जहां तक संभव हो, निपटारा किया जाएगा।

चुनाव लड़ने वाले पति या पत्नी को नोटिस की सेवा की तारीख से 60 दिनों के भीतर। वैधानिक प्रावधानों के बावजूद राजेश v.

नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

अंतरिम रखरखाव के लिए कार्यवाही के निपटारे के लिए एक समयबद्ध अवधि प्रदान करते हुए, हम पाते हैं कि अधिकांश मामलों में आवेदन कई वर्षों से लंबित रहते हैं। विलम्ब विभिन्न कारकों के कारण होता है, जैसे कि पारिवारिक न्यायालयों पर जबरदस्त दबाव, पक्षों द्वारा बार-बार स्थगन की मांग, अंतरिम चरण में ही अभिवचनों को पूरा करने में भारी समय लेना आदि। कई वर्षों तक अंतरिम चरण में रखरखाव के लिए आवेदनों की लंबितता कानून के उद्देश्य को विफल कर देती है।

वर्तमान में, अंतरिम रखरखाव का मुद्दा है

अभिवचनों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जहां कुछ अनुमान-कार्य या मोटा अनुमान लगाया जाता है, ताकि प्रदान की जाने वाली राशि का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन किया जा सके। अक्सर यह देखा जाता है कि दोनों पक्ष बहुत कम सामग्री प्रस्तुत करते हैं, सही विवरण का खुलासा नहीं करते हैं और महत्वपूर्ण को दबाते हैं।

जानकारी, जिससे परिवार न्यायालयों के लिए अंतरिम भरण-पोषण के अनुदान के लिए एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। जबकि की ओर से एक प्रवृत्ति है

पत्नी अपनी जरूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए, पति द्वारा अपनी वास्तविक आय को छिपाने की प्रवृत्ति होती है।

इसलिए यह निर्धारित करना आवश्यक हो गया है कि

कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया, क्योंकि एक आश्रित पत्नी, जिसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, को अपने और नाबालिग के भरण-पोषण के लिए अंतराल के दौरान अपने माता-पिता/रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है।

सबसे पहले, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 9 के आदेश के अनुपालन में परिवार न्यायालय को विवादों के निपटारे के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए, धारा 6 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, परिवार न्यायालय को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए परामर्शदाताओं के लिए प्रावधान करेगी। वैवाहिक मुकदमेबाजी के बड़े और बढ़ते प्रतिशत को देखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि धारा 5 और 6 के प्रावधान परिवार न्यायालय अधिनियम प्रत्येक परिवार न्यायालय में विवाह सलाहकारों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करके प्रभावी किया जाता है, जो निपटान की प्रक्रिया में मदद करेगा।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

यदि निपटान की कार्यवाही विफल हो जाती है, तो परिवार न्यायालय गुण-दोष के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएगा।

भरण-पोषण का दावा करने वाली पार्टी या तो पति या पत्नी के रूप में, या सिविल यूनियन में भागीदार के रूप में, लिव-इन रिलेशनशिप, कॉमन रिलेशनशिप में रहती है।

कानून विवाह, एक संक्षिप्त फाइल करने की आवश्यकता होनी चाहिए

परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के शपथ पत्र के साथ सीमित अभिवचनों के साथ अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदन और

आवश्यकताएँ। दोनों पक्षों द्वारा दायर दलीलों और प्रकटीकरण के हलफनामों के आधार पर, न्यायालय एक

वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने की स्थिति

रखरखाव के लिए दी जाने वाली अनुमानित राशि

अंतरिम स्तर पर।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई फैसलों में

पुनीत कौर बनाम इंदरजीत सिंह साहनी 26

और उसके बाद कुसुम शर्मा बनाम महिंदर कुमार

Cr.P.C. के साथ परिसंपत्तियों का शपथ पत्र होना चाहिए, निर्धारित आय और व्यय। कुसुम शर्मा द्वितीय, 28 में न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा दायर की जाने वाली परिसंपत्तियों, आय और व्यय के शपथ पत्र का एक प्रारूप तैयार किया।

वैवाहिक मुकदमे की सीमा। यह प्रक्रिया थी

विशेष के तहत रखरखाव की कार्यवाही तक विस्तारित

विवाह अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869। कुसुम शर्मा तृतीय, 29 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शपथ पत्र के प्रारूप को संशोधित किया और इसे रखरखाव की कार्यवाही तक बढ़ा दिया।

IV 3 0 न्यायालय ने ध्यान दिया कि शपथ पत्र दाखिल करना अभिवचनों के साथ-साथ उस पक्ष को अनुचित लाभ दिया जो बाद में शपथ पत्र दाखिल करता है। इस फैसले में कहा गया है कि

दिल्ली 73.

एलटी 706।406/2017 .

246 डीएलटी 1.

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

यह स्पष्ट किया गया था कि शपथ पत्र एक साथ दाखिल किया जाना चाहिए

दोनों पक्षों द्वारा। कुसुम शर्मा बनाम 3 में न्यायालय

पूर्व में शपथ पत्रों के प्रारूप को समेकित किया गया

निर्णय, और निर्देश दिया कि उसी में दायर किया जाए

रखरखाव की कार्यवाही।

हमारे देश की व्यापक रूप से भिन्न जनसांख्यिकीय रूपरेखा को देखते हुए, जिसमें महानगरीय शहर, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र आदि शामिल हैं, विभिन्न राज्य कानूनों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना उचित समझा गया।

सेवा प्राधिकरण (एस. एल. एस. ए.)।

इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 17.12.2019 आदेश के माध्यम से

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण से अनुरोध किया (“ एन. ए. एल. एस. ए.) प्राप्त सुझावों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए

शपथपत्र पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एस. एल. एस. ए. से

द्वारा दायर की जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण

दलों को।

एनएएलएसए ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की

दिनांक 17.02.2020 जिसमें देश भर के सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सुझाव शामिल हैं। हम एस. एल. एस. ए. द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को प्रकटीकरण के शपथ पत्र को अंतिम रूप देने में बहुत सहायक पाते हैं जिसका उपयोग परिवार न्यायालयों द्वारा निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। रखरखाव की राशि का भुगतान किया जाना है।

देश के विविध परिदृश्य और एस. एल. एस. ए. द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि निर्धारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रकटीकरण का एक सरल शपथ पत्र तैयार किया जा सकता है।

रखरखाव की मात्रा।

हम महसूस करते हैं कि पक्षकारों द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया जाना है

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, पूरी तरह से होने की आवश्यकता होगी

ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में लागू होने वाले से भिन्न

क्षेत्रों।

इस उद्देश्य के लिए, परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का एक व्यापक शपथ पत्र संलग्न किया जा रहा है

इस निर्णय के लिए पहला और दूसरा खुलासा।

ई दिल्ली उच्च न्यायालय दिनांकित 06.08.2020 के निर्णय के माध्यम से।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

हमें मेघालय राज्य द्वारा सूचित किया गया है।

कानूनी सेवा प्राधिकरण कि मेघालय राज्य में मुख्य रूप से आदिवासी आबादी है, जो समाज की मातृवंशीय प्रणाली। आबादी शामिल है

तीन जनजातियों का। खासी, जयंतिया और गारो जनजातियाँ। मेघालय में, सबसे छोटी बेटी संपत्ति की संरक्षक होती है, और अपने मामा के परामर्श से पारिवारिक संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। द.

मेघालय राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि मेघालय में घोषणा इस निर्णय के साथ संलग्न प्रारूप में एनक्लोजर III के रूप में की जानी चाहिए। परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण के शपथ पत्र के एक समान प्रारूप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दाखिल किया जाना चाहिए

रखरखाव की कार्यवाही में, यह न्यायालय इस पर विचार करता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित अनुच्छेद 136 के तहत हमारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक हैः

(क) इस निर्णय के परिच्छेद I, II और III में संलग्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का शपथ पत्र, जो लागू हो सकता है, पक्षकारों द्वारा सभी रखरखाव कार्यवाही में दायर किया जाएगा, जिसमें लंबित कार्यवाही भी शामिल है।

मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जैसा भी मामला हो, पूरे मामले में देश;

रखरखाव के लिए दावा करने वाला आवेदक

(ख) परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के शपथ पत्र के साथ एक संक्षिप्त आवेदन दायर करने की आवश्यकता होगी;

(ग) प्रत्यर्थी को अधिकतम चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रकटीकरण के शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय प्रत्यर्थी को परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं कर सकते हैं।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

यदि प्रत्यर्थी शपथपत्र के साथ जवाब दाखिल करने में देरी करता है, और इसके लिए दो से अधिक स्थगन चाहता है

कार्यवाही। 32 निर्धारित समय के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने में विफलता पर, परिवार न्यायालय आवेदक द्वारा दायर शपथ पत्र और अभिलेख पर अभिवचनों के आधार पर रखरखाव के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(घ) उपरोक्त प्रारूप को संबंधित न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यदि किसी मामले की आवश्यकताओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना संबंधित न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाएगा।

(ङ) यदि प्रकटीकरण के शपथ पत्र में निहित जानकारी के अलावा किसी और जानकारी की आवश्यकता है, तो संबंधित न्यायालय उसके संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है। (च) यदि इसके संबंध में कोई विवाद है

प्रकटीकरण के शपथ पत्र में की गई घोषणा, पीड़ित पक्ष पूछताछ करने के लिए अदालत से अनुमति ले सकता है, और प्रासंगिक दस्तावेजों को पेश करने की मांग कर सकता है सी. पी. सी. के आदेश XI के तहत विरोधी पक्ष से;

शपथपत्र दाखिल करने पर, न्यायालय सी. पी. सी. के आदेश X या सी. पी. सी. की धारा 165 के प्रावधानों को लागू कर सकता है।

साक्ष्य अधिनियम 1872, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है

तो;

एक पक्ष की आय अक्सर दूसरे पति या पत्नी की जानकारी में नहीं होती है। न्यायालय आह्वान कर सकता है

यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106, क्योंकि पति या पत्नी की आय, संपत्ति और देनदारियां संबंधित पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी में हैं।

मुकेश जैन, आपराधिक अपील सं। 1129-1130 / 2019 2019 में निर्णय लिया गया।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

(छ) यदि कार्यवाही के दौरान, किसी पक्ष की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता है, या

कोई प्रासंगिक परिस्थितियाँ, या यदि कुछ नई जानकारी

प्रकाश में आता है, पार्टी एक संशोधित/प्रस्तुत कर सकती है पूरक शपथ पत्र, जिस पर विचार किया जाएगा

अंतिम निर्धारण के समय न्यायालय।

(ज) आवेदनों में की गई दलीलें

रखरखाव और दाखिल किए गए जवाब जिम्मेदार होने चाहिए

अभिवचन; यदि झूठे बयान और गलत निरूपण किए जाते हैं, तो न्यायालय कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर सकता है।

यू/एस। 340 Cr.P.C., और न्यायालय की अवमानना के लिए।

(i) यदि पक्ष आर्थिक रूप से संबंधित हैं

कमजोर वर्ग ("ई. डब्ल्यू. एस".), या गरीबी से नीचे रह रहे हैं

लाइन ("बी. पी. एल".), या आकस्मिक मजदूर हैं, जिनकी आवश्यकता है

शपथ पत्र दाखिल करने से छूट दी जाएगी।

(1) संबंधित परिवार न्यायालय/जिला न्यायालय /

एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा अंतरिम रखरखाव के लिए आई. ए., नवीनतम चार से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रकटीकरण के शपथ पत्र के समक्ष दायर किए जाने के बाद

अदालत।

(क) एक पेशेवर विवाह परामर्शदाता बनाया जाना चाहिए।

प्रत्येक परिवार न्यायालय में उपलब्ध।

कोई गुजारा भत्ता नहीं

आवेदक को उसके शेष जीवन के लिए स्थायी गुजारा भत्ता। विवाह की अवधि निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाने वाला एक प्रासंगिक कारक होगा स्थायी गुजारा भत्ता दिया जाना है।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर.

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

के लिए उचित खर्चों के अनुदान का प्रावधान

बच्चों की शादी उस समय की जानी चाहिए जब

यदि किसी पति/पत्नी/दादा-दादी द्वारा बच्चों के पक्ष में कोई न्यास निधि/निवेश बनाया गया है, अंतिम बाल सहायता तय करते समय इस पर भी विचार किया जाएगा।

रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड

अंतरिम/स्थायी गुजारा भत्ता देने का उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना है कि आश्रित जीवनसाथी कम न हो

की विफलता के कारण अभाव या भटकाव विवाह, और दूसरे पति या पत्नी के लिए सजा के रूप में नहीं। वहाँ

की मात्रा तय करने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं है

रखरखाव का पुरस्कार दिया जाए।

वे कारक जो न्यायालय के साथ विचार करेंगे

अन्य पक्ष पक्षों की स्थिति हैं; उचित आवश्यकताएँ

पत्नी और आश्रित बच्चे; क्या आवेदक है

शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य; क्या आवेदक

आय का कोई स्वतंत्र स्रोत है; क्या आय

उसे उसी मानक को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है

क्या आवेदक अपनी शादी से पहले कार्यरत था; क्या वह निर्वाह के दौरान काम कर रही थी

परिवार के पालन-पोषण, बच्चों के पालन-पोषण और परिवार के वयस्क सदस्यों की देखभाल के लिए रोजगार के अवसर; एक गैर-कामकाजी पत्नी के लिए मुकदमे की लागत। 33

मनीष जैन बनाम आकांक्षा जैन 3 4 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

आवेदक के माता-पिता की वित्तीय स्थिति-पत्नी,

की मात्रा निर्धारित करते समय सामग्री नहीं होगी रखरखाव। अंतरिम रखरखाव का आदेश सशर्त है।

असबीर कौर सहगल बनाम जिला न्यायाधीश, देहरादून और अन्य। (1997) 7 एस. सी. सी 7.

परमवीर परमार बनाम परमवीर परमार (2011) 13 एससीसी 112।

एससीसी 801।

अग्रिम न्यायालय की रिपोर्ट

इस परिस्थिति में कि दावा करने वाली पत्नी या पति की कोई स्वतंत्र आय नहीं है, जो उसके या उसके समर्थन के लिए पर्याप्त है। यह भरण-पोषण के दावे का कोई जवाब नहीं है कि पत्नी शिक्षित है और अपना भरण-पोषण कर सकती है। न्यायालय को पक्षकारों की स्थिति और पति या पत्नी की उनके समर्थन के लिए भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। रखरखाव तथ्यात्मक स्थितियों पर निर्भर करता है; न्यायालय को ढाला जाना चाहिए।

लाए गए विभिन्न कारकों के आधार पर रखरखाव का दावा उससे पहले।

दूसरी ओर, की वित्तीय क्षमता

पति, उसकी वास्तविक आय, अपने स्वयं के रखरखाव के लिए उचित खर्च, और आश्रित परिवार के सदस्य जिन्हें वह कानून के तहत बनाए रखने के लिए बाध्य है, देनदारियों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि भुगतान किए जाने वाले रखरखाव की उचित मात्रा पर पहुंचा जा सके। न्यायालय को पति के जीवन स्तर के साथ-साथ बढ़ती मुद्रास्फीति दर और जीवन यापन की उच्च लागत का उचित ध्यान रखना चाहिए। पति की यह दलील कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वास्तव में उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के अपने नैतिक कर्तव्य से मुक्त नहीं करती है, यदि -

वह शारीरिक रूप से सक्षम है और उसके पास शैक्षिक योग्यता है। 35

एक सावधानीपूर्वक और न्यायपूर्ण संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

सभी प्रासंगिक कारक। के निर्धारण के लिए परीक्षण

वैवाहिक विवादों में रखरखाव इस पर निर्भर करता है कि

प्रत्यर्थी की वित्तीय स्थिति, और मानक

जीवित है कि आवेदक उसके लिए आदी था वैवाहिक घर।

36

प्रदान की गई रखरखाव राशि होनी चाहिए

उचित और यथार्थवादी, और दोनों में से किसी से भी बचें चरम सीमाएँ अर्थात पत्नी को दिया जाने वाला भरण-पोषण

न तो इतना फिजूलखर्ची करना चाहिए जो प्रतिवादी के लिए दमनकारी और असहनीय हो जाता है, न ही यह इतना कम होना चाहिए कि यह पत्नी को गरीबी की ओर ले जाए। मात्रा की पर्याप्तता का निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि पत्नी सक्षम हो

उचित आराम के साथ खुद को बनाए रखें।

कान बनाम सुमेर सिंह सालकन (2019) 12 एस. सी. सी. 303। जे बनाम सीता बाई (2008) 2 एससीसी 316।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर.

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

एचएएमए की धारा 23 वैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।

मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंडों के संबंध में रखरखाव। एच. ए. एम. ए. की धारा 23 की उप-धारा (2) निम्नलिखित कारकों का प्रावधान करती है जिन पर विचार किया जा सकता है।

विचारः (i) पक्षों की स्थिति और स्थिति, (ii) दावेदार की उचित इच्छाएं, (iii) यदि याचिकाकर्ता/दावेदार अलग रह रहा है, तो उसी के लिए औचित्य, (iv) दावेदार की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति से प्राप्त कोई भी आय, (v) दावेदार की अपनी आय।

आय या किसी अन्य स्रोत से। डी. वी. अधिनियम की धारा 20 (2) में प्रावधान है कि पीड़ित महिला को दी गई मौद्रिक राहत और/या

बच्चों को पर्याप्त, निष्पक्ष, तर्कसंगत होना चाहिए और

जीवन स्तर के अनुरूप जिसके लिए पीड़ित महिला अपने वैवाहिक जीवन में इसकी आदी थी

घर।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत हेगड़े बनाम श्रीमती.

सरोज हेगड़े 3 7 ने निम्नलिखित कारकों को निर्धारित किया

रखरखाव निर्धारित करने के लिए विचार किया गयाः

" 1. दलों की स्थिति।

2. दावेदार की उचित इच्छाएँ।

3. दावेदार की स्वतंत्र आय और संपत्ति।

बनाए रखें। 5. इस राशि से आवेदक को समान रूप से रहने में सहायता मिलनी चाहिए।

जीवन शैली जैसा कि उसने वैवाहिक घर में आनंद लिया।

6. गैर-आवेदक की देनदारियाँ, यदि कोई हों।

7. भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा के लिए प्रावधान,

आवेदक की चिकित्सा उपस्थिति और उपचार आदि।

गैर-आवेदक की आय जब सभी स्रोत या सही स्रोतों का खुलासा नहीं किया जाता है।

ओएलटी 16.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. गैर-आवेदक मुकदमे की लागत चुकाने के लिए।

11. यू/एस 125 Cr.PC के तहत दी गई राशि अधिनियम के यू/24 के तहत दी गई राशि के खिलाफ समायोज्य है। 17. "

(vi)

ऊपर बताए गए उपरोक्त कारकों के अलावा, कुछ अतिरिक्त कारक भी देय रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक होंगे।

(क) दलों की आयु और रोजगार

लंबी अवधि के विवाह में, जहां पार्टियों ने कई वर्षों तक रिश्ते को बनाए रखा है, यह एक प्रासंगिक कारक होगा

ध्यान में रखा जाए। संबंध की समाप्ति पर, यदि पत्नी शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य है, लेकिन नाबालिग बच्चों की प्राथमिक देखभाल करने वाले परिवार की जरूरतों की देखभाल के लिए उसे अपने रोजगार के अवसरों को छोड़ना पड़ा, और

परिवार के बुजुर्ग सदस्यों, इस कारक को उचित महत्व देने की आवश्यकता होगी। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है

समकालीन समाज, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग मानकों को देखते हुए, अलग हो चुकी पत्नी को विपणन योग्य कौशल प्राप्त करने के लिए नए प्रशिक्षण से गुजरना होगा और खुद को पुनर्वासित करने के लिए भुगतान किए गए कार्यबल में नौकरी हासिल करने के लिए खुद को फिर से प्रशिक्षित करना होगा। के साथ उम्र बढ़ने के साथ, एक आश्रित पत्नी के लिए कई महीनों के अंतराल के बाद कार्य-बल में आसानी से प्रवेश करना मुश्किल होगा।

वर्षों से।

(ख) निवास का अधिकार

डी. वी. अधिनियम की धारा 17 एक पीड़ित महिला को "साझा घर" में रहने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 2 (ओं) "साझा घर" को उस घर को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है जहां पीड़ित महिला है।

घरेलू संबंध के किसी भी स्तर पर रहता था; या संयुक्त रूप से या अकेले दोनों द्वारा स्वामित्व और किराए पर लिया गया घर, या अकेले पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा; या एक संयुक्त परिवार का घर, जिसमें से प्रतिवादी एक है

सदस्य। धारा 2 (ओं) के तहत परिभाषित "साझा घर" में रहने का एक महिला का अधिकार पीड़ित महिला को साझा घर में रहने का अधिकार देता है, चाहे उसका कोई भी कानूनी हित हो। सतीश चंदर राजेश बनाम में यह न्यायालय।

नेहा और ए. एन. आर.

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा 3 8 (ऊपर) ने माना कि "साझा घर"

धारा 2 (ओं) में निर्दिष्ट पीड़ित का साझा परिवार है।

व्यक्ति जहाँ वह उस समय रह रही थी जब आवेदन किया गया था

दायर किया गया, या किसी भी स्तर पर घरेलू संबंध में रहता था। का जीवन

साझा घर में पीड़ित महिला के पास डिग्री होनी चाहिए।

यह एक "साझा परिवार" का गठन नहीं करेगा। यह महत्वपूर्ण है कि पार्टियों के इरादे, जीवन की प्रकृति और प्रकृति पर विचार करें।

घर, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या परिसर एक साझा है

गृहस्थ "। डी. वी. अधिनियम की धारा 17 और 19 के साथ पठित धारा 2 (ओं) एक महिला को एक साझा घर में रहने का अधिकार देती है।

चाहे उसका इसमें कोई कानूनी हित हो। वहाँ है। कानून की कोई आवश्यकता नहीं है कि पति का सदस्य होना चाहिए

साझा परिवार का स्वामित्व या किरायेदार होना जरूरी नहीं है। पति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से।

डी. वी. अधिनियम की धारा 19 (1) (च) में प्रावधान है कि -

मजिस्ट्रेट अन्य बातों के साथ-साथ निवास आदेश पारित कर सकते हैं जिसमें निर्देश दिया गया हो कि समान स्तर के वैकल्पिक आवास को सुरक्षित करने के लिए उत्तरदाता

पीड़ित महिला के लिए जिसका वह साझा घर में आनंद लेती है।

ऐसा आदेश पारित करते समय, मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है -

किराया और अन्य भुगतानों का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी,

पक्षों की वित्तीय आवश्यकताएँ और संसाधन।

((ग) जहाँ पत्नी कुछ आय अर्जित कर रही हो।

अदालतों ने माना है कि यदि पत्नी कमा रही है, तो यह पति द्वारा भरण-पोषण प्रदान किए जाने पर रोक के रूप में काम नहीं कर सकती है।

न्यायालयों ने इस मुद्दे पर निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए हैं:

निर्णय।

शैलजा और अन्र में। बनाम खोब्बन्ना, 39 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

केवल इसलिए कि पत्नी कमाने में सक्षम है, यह एक नहीं होगा

द्वारा दिए गए रखरखाव को कम करने के लिए पर्याप्त जमीन

पारिवारिक न्यायालय। न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या आय

पत्नी खुद को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार

अपील सं. 2483/2020 का निर्णय दिनांक 15.10.2020 के निर्णय के माध्यम से किया गया।

8) 12 एससीसी 199।

पी. सुरेश बनाम एस. दीपा और अन्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय। , 2016

जे 4794।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैवाहिक घर में अपने पति की जीवन शैली के साथ। 4 40 निर्वाह का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। 41

जबलपुर। पति ने तर्क दिया कि चूंकि पत्नी ने पर्याप्त आय होने पर उसे पति से वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि केवल इसलिए कि पत्नी कुछ आय अर्जित कर रही थी, यह भरण-पोषण के लिए उसके दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय दामोदर काले बनाम कल्याणी संजय काले 43 मामले में सुनीता कचवाहा (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि न तो केवल कमाने की क्षमता है और न ही पत्नी की वास्तविक कमाई, चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो, पर्याप्त है।

रखरखाव के दावे को अस्वीकार करना।

एक सक्षम पति को सक्षम माना जाना चाहिए।

अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन अर्जित करने के लिए, और यह तर्क नहीं दे सकता कि वह अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए पर्याप्त कमाई करने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने चंदर प्रकाश बोधराज बनाम शीला रानी चंदर प्रकाश में कहा था। 44 जिम्मेदारी

पति को आवश्यक सामग्री के साथ यह स्थापित करना है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि वह परिवार का पालन-पोषण करने में असमर्थ है, और अपने नियंत्रण से परे कारणों से अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करता है। यदि पति अपनी आय की सही राशि का खुलासा नहीं करता है, तो न्यायालय द्वारा एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

इस अदालत ने शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खाना मामले में अनुमोदन के साथ चंद्र प्रकाश (ऊपर) के फैसले का हवाला दिया और कहा कि भरण-पोषण प्रदान करने के लिए पति का दायित्व है।

पत्नी से ऊँचे आसन पर खड़ा होता है।

((घ) छोटे बच्चों का रखरखाव बच्चे के रहन-सहन के खर्च में भोजन, कपड़े, निवास, चिकित्सा खर्च, बच्चों की शिक्षा का खर्च शामिल होगा।

तुर्बुज बनाम सीता बाई, (2008) 2 एस. सी. सी. 316।

1 लखनपाल बनाम श्रीमती। पूजा शर्मा, 2015 एससीसी ऑनलाइन एचपी 1252।

4) 16 एससीसी 715।

ओ एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 694।

1968 दिल्ली 174.

5) 5 एससीसी 705।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

बाल सहायता प्रदान करते समय बुनियादी शिक्षा के पूरक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालाँकि, यह एक उचित राशि होनी चाहिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए पुरस्कृत किया जाता है, न कि अत्यधिक असाधारण राशि जिसका दावा किया जा सकता है।

बच्चों की शिक्षा का खर्च आम तौर पर पिता द्वारा वहन किया जाना चाहिए। यदि पत्नी काम कर रही है और पर्याप्त कमाई कर रही है, तो

खर्चों को पक्षों के बीच आनुपातिक रूप से साझा किया जा सकता है।

(ई) गंभीर अक्षमता या खराब स्वास्थ्य पति या पत्नी की गंभीर अक्षमता या खराब स्वास्थ्य, शादी से बच्चे/आश्रित रिश्तेदार जिन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है

और आवर्ती व्यय भी एक प्रासंगिक विचार होगा।

रखरखाव की मात्रा निर्धारित करते समय। IV जिस तिथि से रखरखाव प्रदान किया जाना है

तिथि के संबंध में एच. एम. ए. में कोई प्रावधान नहीं है

जिनसे रखरखाव का आदेश प्रभावी बनाया जा सकता है।

इसी तरह, डी. वी. अधिनियम की धारा 12 में तारीख का उल्लेख नहीं है।

जिनसे रखरखाव का पुरस्कार दिया जाना है। धारा 125 (2) Cr.P.C. एकमात्र वैधानिक प्रावधान है जिसमें यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट या तो भरण-पोषण प्रदान कर सकता है।

आदेश की तारीख, या आवेदन की तारीख से। 46

उस तारीख के संबंध में जिससे रखरखाव प्रदान किया जाना चाहिए। परिवार न्यायालयों द्वारा लिए गए अलग-अलग विचार इस प्रकार हैं: सबसे पहले, उस तारीख से जिस दिन रखरखाव के लिए आवेदन दायर किया गया था;

दूसरा, रखरखाव प्रदान करने के आदेश की तारीख; तीसरा,

जिस तारीख को प्रतिवादी को समन भेजा गया था।

(क) आवेदन की तारीख से यह विचार कि रखरखाव उस तारीख से दिया जाना चाहिए जब आवेदन किया गया था, तर्क पर आधारित है

कि रखरखाव कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य एक सुनसान जगह की रक्षा करना है

पत्नी और निर्धनता और भटकाव से आश्रित बच्चे। अगर

रखरखाव का भुगतान आवेदन की तारीख से नहीं किया जाता है, पार्टी

आईवरम बनाम के. मंगलम्बा और अन्य। 1989 (1) एपीएलजे (एचसी) 604।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रखरखाव की मांग करने वाले जीविका से वंचित होंगे, जिसके कारण

आवेदन के निपटारे में लगने वाला समय, जो अक्सर चलता है

कई वर्षों में।

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सुष्मिता मोहंती बनाम रवींद्र मामले में

नाथ साहू 47 ने अभिनिर्धारित किया कि विधायिका का उद्देश्य एक

संक्षिप्त, त्वरित और तुलनात्मक रूप से सस्ता उपचार

उपेक्षित व्यक्ति। जहाँ कोई मुकदमा या तो विरोधी पक्ष के आचरण के कारण, या न्यायालयों में भारी बोझ के कारण, या अपरिहार्य कारणों से लंबा चलता है, तो यह अन्यायपूर्ण और विपरीत होगा।

या तो आवेदन की तारीख से, या आदेश की तारीख से, न्यायालय के विवेक के भीतर था, यह अनुदान देना उचित होगा। आवेदन की तारीख से रखरखाव। इसका पालन किया गया

अरुण कुमार नायक बनाम उर्मिला जेना, 49 जिसमें इसे दोहराया गया था

कि आश्रितों से रखरखाव प्राप्त करने के हकदार थे

आवेदन की तिथि।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कृष्ण जैन बनाम

धरम राज जैन 5 0 50 ने माना कि एक पत्नी इसके लिए दावा कर सकती है

भरण-पोषण आवेदन की तारीख से दिया जाना है, और पति इसे अस्वीकार कर सकता है। ऐसे मामलों में, न्यायालय एक मुद्दा बना सकता है, और पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर उसी पर निर्णय ले सकता है। यह विचार कि "सामान्य नियम" आदेश की तारीख से रखरखाव प्रदान करना था, और अपवाद उस तारीख से रखरखाव प्रदान करना था

आवेदन के लिए, धारा 125 (2) Cr.P.C में कुछ और सम्मिलित करना होगा, जिसका विधानमंडल का इरादा नहीं था। कारण होना चाहिए

दोनों मामलों में दर्ज किया गया। यानि जब रखरखाव से सम्मानित किया जाता है

आवेदन की तारीख, या जब इसे प्रदान किया जाता है

आदेश दें।

रखरखाव यू/एस के भुगतान को नियंत्रित करने वाला कानून। 125 Cr.P.C।

आवेदन की तारीख से, एच. ए. एम. ए. तक बढ़ाया गया था

5 (1) ओएलआर 361। 1 क्रि एल. जे. 879।

(0) 93 ए. आई. सी. 726 (ओ. आर. एल.)।

3 (2) एमपीजेआर 63.

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

गंगा प्रसाद श्रीवास्तव बनाम अतिरिक्त मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जिला न्यायाधीश, गोंडा और Ors.5[1] न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तारीख

आवेदन को हमेशा प्रारंभिक बिंदु माना जाना चाहिए

कि निर्णय की तारीख से भरण-पोषण का भुगतान किया जाए। द हाई न्यायालय ने माना कि सामान्य निष्कर्ष यह होना चाहिए कि

रखरखाव आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा। ए.

रखरखाव की मांग करने वाला पक्ष अन्यथा वंचित हो जाएगा

न्यायालय के समय की कमी के कारण उत्पन्न हो सकता है, या किसी एक पक्ष का आचरण। इस मामले में, एक देरी थी

मुक़दमे के निपटारे में सात साल, और पत्नी नहीं हो सकी

उस समय तक भूखे रहना। पत्नी को हकदार माना गया था

आवेदन/सूट की तारीख से रखरखाव।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लवलेश शुक्ला बनाम रुक्मिणीस 2 मामले में फैसला सुनाया

वित्तीय संकट से उबरने के लिए एक पत्नी को भरण-पोषण प्रदान किया जाता है, जो अपने पति से अलग होने के कारण होता है। यह है।

न तो पत्नी के प्रति अनुग्रह का विषय, और न ही उसके द्वारा किया गया कोई दान।

पति।

(ख) आदेश की तारीख से

दूसरा दृष्टिकोण कि रखरखाव का पुरस्कार दिया जाना चाहिए।

आदेश की तारीख से इस आधार पर आधारित है कि सामान्य नियम आदेश की तारीख से रखरखाव प्रदान करना है, और अनुदान

आवेदन की तारीख से रखरखाव अपवाद होना चाहिए। इस दृष्टिकोण की नींव अनुभाग की व्याख्या पर आधारित है।

125 (2) Cr.P.C. जो प्रदान करता हैः

“ (2) रखरखाव या अंतरिम के लिए ऐसा कोई भत्ता

रखरखाव और कार्यवाही के लिए खर्च देय होंगे।

आदेश की तारीख से, या, यदि ऐसा आदेश दिया गया है, तो की तारीख से

रखरखाव या अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदन और कार्यवाही का खर्च, जैसा भी मामला हो "।

(जोर दिया गया)

9 (6) एडीजे 850।

Rev.P. 851/2019 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.11.2019 आदेश के माध्यम से निर्णय लिया गया।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 54 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Cr.P.C की S.125 (2) की व्याख्या पर यह अभिनिर्धारित किया कि कब रखरखाव का भुगतान आवेदन की तारीख से करने का निर्देश दिया जाता है,

न्यायालय को कारण दर्ज करने चाहिए। यदि आदेश मौन है, तो यह आदेश की तारीख से प्रभावी होगा, जिसके लिए कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 125 (2) प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आदेश की तारीख से भरण-पोषण देय होगा।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमित वर्मा बनाम संगीता वर्मा और Ors.55 मामले में निर्देश दिया कि रखरखाव की अनुमति दी जानी चाहिए।

आदेश की तारीख से।

(ग) समन की सेवा की तारीख से कुछ न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया जाने वाला तीसरा दृष्टिकोण यह है कि प्रतिवादी को समन की सेवा की तारीख से भरण-पोषण प्रदान किया जाना चाहिए।

केरल उच्च न्यायालय एस. राधाकुमारी बनाम के. एम. के. नायर 56 में अंतरिम रखरखाव के लिए एक आवेदन पर विचार कर रहा था।

पति द्वारा दायर तलाक की कार्यवाही में पत्नी द्वारा। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पत्नी को भरण-पोषण उस तारीख से दिया जाना चाहिए जिस दिन मुख्य तलाक में समन भेजा गया था। याचिका। न्यायालय ने समीर बनर्जी बनाम सुजाता बनर्जी, 57 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि एच. एम. ए. की धारा 24 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो

रखरखाव एक विशिष्ट तिथि से दिया जाना चाहिए। न्यायालय, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, समन की सेवा की तारीख से भरण-पोषण का आदेश दे सकता है।

देवी और ओआरएस। v उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2010) 69 एसीसी 19.

0) 69 एसीसी 19.

नं. 3542/2019, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के आदेश के माध्यम से निर्णय लिया गया।

1983 केर 139।

सीडब्ल्यूएन 633।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गौरी दास बनाम प्रद्युम्न कुमार मामले में

दास 58 अंतरिम रखरखाव के लिए दायर एक आवेदन पर विचार कर रहा था।

समन की सेवा की तारीख से रखरखाव। यह आयोजित किया गया था कि उन मामलों में जहां रखरखाव याचिका में आवेदक है

तलाक याचिका में याचिकाकर्ता भी, भरण-पोषण बन जाता है

उस तारीख से देय जब समन जारी किया जाता है

मुख्य कार्यवाही में प्रतिवादी।

कल्पना दास बनाम शरत कुमार दास में, 59 उड़ीसा उच्च

तारीख जब पति ने उपस्थिति दर्ज की। अदालत ने कहा कि यू/एस द्वारा अंतरिम रखरखाव के लिए एक आवेदन पर विचार करना। 24 एचएमए

पत्नी द्वारा दायर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका में। द.

पारिवारिक अदालत ने पत्नी और नाबालिग को अंतरिम भरण-पोषण दिया

आदेश की तारीख से बच्चा। पत्नी द्वारा दायर एक अपील में और नाबालिग बच्चा आवेदन की तारीख से भरण-पोषण की मांग कर रहा है,

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिवार न्यायालय किसी को भी निर्दिष्ट करने में विफल रहा है

इसके आदेश के समर्थन में कारण, और निर्देशितः

" 9. ..... विद्वान न्यायाधीश। परिवार न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया है।

कारण कि उन्होंने अंतरिम आदेश क्यों पारित किया

रखरखाव डब्ल्यू. ई. एफ. आदेश की तारीख जब माना जाता है कि

पक्ष अलग रह रहे हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है

कि याचिकाकर्ताओं के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है,

इसलिए, हमारे विचार में आदेश पारित किया जाना चाहिए था

की तारीख से अंतरिम रखरखाव का भुगतान

विरोधी पक्ष की उपस्थिति-पति।

" "

(जोर दिया गया)

चर्चा और निर्देश

ऊपर दिए गए निर्णय विभिन्न पक्षों के अलग-अलग विचारों को प्रकट करते हैं।

जिस तारीख से भरण-पोषण दिया जाना चाहिए, उस तारीख को अदालतें।

भले ही न्यायालय को न्यायिक विवेकाधिकार प्रदान किया गया हो

रखरखाव या तो आवेदन की तारीख से या की तारीख से धारा 125 (2) Cr.P.C में रखरखाव का अनुदान देना उचित होगा।

5 (II) ओ. एल. आर. 44।

2009 ओआरएल 133।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 125 सहित सभी मामलों में आवेदन की तारीख से रखरखाव से संबंधित प्रावधानों के व्यावहारिक कामकाज में, हम पाते हैं कि वर्षों के अंत तक अंतरिम रखरखाव के लिए आवेदनों के निपटान में महत्वपूर्ण देरी होती है। इसलिए यह न्याय और निष्पक्ष खेल के हित में होगा कि रखरखाव की तारीख से प्रदान किया जाता है

आवेदन।

शैल कुमारी देवी और ओआरएस में। बनाम कृष्णन भगवान पाठक इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भरण-पोषण की पात्रता को मामले के निपटारे की अनिश्चित तिथि पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कार्यवाही के निपटान में भारी देरी की तारीख से रखरखाव के पुरस्कार को उचित ठहराती है

आवेदन। भुवन मोहन सिंह बनाम मीना 6 1 में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस मामले में पति द्वारा बार-बार स्थगन की मांग के परिणामस्वरूप

मामले के निर्णय में 9 साल की देरी। निर्णय लेने में देरी न केवल मानवाधिकारों के खिलाफ थी, बल्कि किसी व्यक्ति की गरिमा के मूल अवतार के खिलाफ भी थी। कार्यवाही के संचालन में देरी के लिए तारीख तक रखरखाव के अनुदान की आवश्यकता होगी

आवेदन।

रखरखाव के लिए आवेदन संबंधित न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है। बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे 62 में, सर्वोच्च न्यायालय धारा 125 Cr.P.C की व्याख्या पर विचार कर रहा था।

" 13.3 . ..... दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करने की आवश्यकता है। निपटते समय

एक बेसहारा पत्नी या असहाय बच्चों या माता-पिता का आवेदन

इस प्रावधान के तहत, न्यायालय समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से निपट रहा है। इसका उद्देश्य "सामाजिक न्याय" प्राप्त करना है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित संवैधानिक दृष्टि है। की प्रस्तावना

60 2008 9 एससीसी 632। 61 2015 6 एससीसी 353। 62 (2014) 1 एससीसी 188।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि हमने चुना है

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानून के शासन के तहत लोकतांत्रिक मार्ग

अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना। यह विशेष रूप से उनके सामाजिक न्याय को प्राप्त करने पर प्रकाश डालता है।

सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना। देते समय एक विशेष प्रावधान की व्याख्या, न्यायालय को माना जाता है

कानून और समाज के बीच की खाई को पाटना।

(जोर दिया गया)

इसलिए इसे लाने के लिए निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है

सभी न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में एकरूपता और एकरूपता के बारे में, यह निर्देश देते हुए कि संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन किए जाने की तारीख से भरण-पोषण प्रदान किया जाए। रखरखाव का दावा करने का अधिकार आवेदन दाखिल करने की तारीख से पहले का होना चाहिए, क्योंकि जिस अवधि के दौरान रखरखाव की कार्यवाही लंबित रही, वह आवेदक के नियंत्रण में नहीं है।

रखरखाव के आदेशों का प्रवर्तन

वी.

रखरखाव के आदेश का प्रवर्तन सबसे चुनौतीपूर्ण है।

समस्या, जिसका सामना आवेदकों को करना पड़ता है। यदि रखरखाव का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो यह समाज कल्याण के उद्देश्य को विफल कर देता है।

कानून। निष्पादन याचिकाएं आमतौर पर महीनों के लिए लंबित रहती हैं, यदि वर्षों के लिए नहीं, जो कानून के उद्देश्य को पूरी तरह से रद्द कर देती हैं। बम्बई उच्च न्यायालय ने सुशीला विरेश छावड़ा बनाम विरेश नागसी छावड़ा 63 मामले में अभिनिर्धारित किया किः

" अंतरिम गुजारा भत्ता और मुकदमेबाजी के खर्चों का निर्देश

धारा 24 के तहत एक तात्कालिकता है और इसे इस रूप में तय किया जाना चाहिए

जैसे ही इसे उठाया जाता है और कानून इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी नहीं है

वैवाहिक मामले में मुकदमा चलाने या बचाव करने से अक्षम भुखमरी या धन की कमी से।

रखरखाव के आदेश के निष्पादन के लिए एक आवेदन

((i)

निम्नलिखित प्रावधानों के तहत दायर किया जा सकता हैः

(क) हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 28 क। अनुभाग

18 परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 और आदेश XXI नियम 94

धारा के तहत पारित आदेश को निष्पादित करने के लिए सी. पी. सी.
24 हिंदू विवाह अधिनियम (परिवार न्यायालय के समक्ष);

63 एयर 1996 बॉम 94।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) डी. वी. अधिनियम की धारा 20 (6) (न्यायिक आयोग के समक्ष)

मजिस्ट्रेट); और

(ग) मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष Cr.P.C की धारा 128।

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 18 में प्रावधान है कि परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश निष्पादन योग्य होंगे। सी. पी. सी./Cr.P.C के अनुसार।

भरण-पोषण के आदेश का पालन करते हुए, उसी तरीके से वसूली की जाएगी जैसा कि जुर्माने के लिए प्रावधान किया गया है, और मजिस्ट्रेट एक अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है। जो एक महीने तक या भुगतान तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ सकता है।

डिफेंस को मारना

कुछ परिवार न्यायालयों ने इस पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं

भुगतान न करने की स्थिति में प्रत्यर्थी का बचाव

रखरखाव, ताकि रखरखाव याचिका के त्वरित निपटान की सुविधा हो।

कौशल्या बनाम मुकेश जैन 64 में, उच्चतम न्यायालय ने

परिवार न्यायालय को बचाव पक्ष को निरस्त करने की अनुमति दी गई

उत्तरदाता, में रखरखाव का भुगतान न करने के मामले में

पारित अंतरिम आदेश के अनुसार।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बानी बनाम. प्रकाश सिंह 65 एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें पति असफल रहा था।

कई नोटिसों के बावजूद, दो साल से अधिक की अवधि के लिए रखरखाव आदेश का पालन करें। न्यायालय ने प्रत्यर्थी के बचाव को निरस्त करने की शक्ति पर ध्यान देते हुए कहा कि:

" कानून उतना शक्तिहीन नहीं है जितना कि पति को कानून के दायरे में नहीं लाना। यदि पति भुगतान करने में विफल रहा है

पत्नी, उसके बचाव के लिए रखरखाव और मुकदमेबाजी का खर्च

तोड़ दिया जाए। "

अपील सं। 1129-1130 / 2019 निर्णय दिनांक 24.07.2019 के आधार पर लिया गया। 6 पी एंड एच 175.

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

1)

मोहिंदर वर्मा मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

बनाम सपना, 66 ने निम्नलिखित शब्दों में बचाव को रोकने के मुद्दे पर चर्चा कीः

" 8. अधिनियम की धारा 24 वैवाहिक न्यायालय को सशक्त बनाती है।

रखरखाव लटकन लाइट और मुकदमेबाजी भी प्रदान करना

एक जरूरतमंद और गरीब पति या पत्नी के लिए व्यय ताकि

कार्यवाही बिना किसी कठिनाई के संचालित की जा सकती है

उसका हिस्सा। इस धारा के तहत कार्यवाहियां संक्षिप्त प्रकृति की होती हैं और इन पर पर्याप्त अधिकार प्रदान करती हैं -

कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आवेदक। कहाँ? इस राशि का भुगतान आवेदक को नहीं किया जाता है, तो इस प्रावधान का उद्देश्य और उद्देश्य ही विफल हो जाता है। कोई शक नहीं,

द्वारा पारित डिक्री या आदेश के निष्पादन का उपाय

वैवाहिक अदालत अधिनियम की धारा 28 ए के तहत उपलब्ध है, लेकिन यह अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने वाले पति या पत्नी के बचाव को रद्द करने के लिए एक बाधा नहीं होगी। उक्त न्यायालय द्वारा पारित रखरखाव और मुकदमेबाजी के खर्च। दूसरे शब्दों में, अदालत के अंतरिम आदेश का सम्मान नहीं करते हुए पति या पत्नी के बचाव को तत्काल बंद करना है।

अधिनियम की धारा 28 ए के तहत इसके निष्पादन तक अंतहीन प्रतीक्षा करने के बजाय जरूरतमंद व्यक्ति को राहत। जहाँ भरण-पोषण का भुगतान करने वाला पति या पत्नी दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, वहाँ दूसरे पति या पत्नी को राशि प्राप्त करने के लिए समय लेने वाली निष्पादन कार्यवाही अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अदालत इसके तत्काल कार्यान्वयन में अपनी असहायता को दर्शाते हुए इसके द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की घोर अवज्ञा को देखने वाला मूक दर्शक नहीं हो सकता है। इस प्रकार, अधिनियम में उस प्रभाव के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी, गलती करने वाले पति या पत्नी के बचाव को समाप्त करना उचित होगा।

अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग

इसके बजाय पीड़ित पक्ष को अपनी मांग करने के लिए छोड़ने के लिए

निष्पादन के माध्यम से प्रवर्तन एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि डिक्री या अंतरिम आदेश के निष्पादन के संबंध में अधिनियम की धारा 28 ए के तहत उपाय चूक करने वाले पति या पत्नी के बचाव को समाप्त करने से समाप्त या समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ पति या पत्नी को रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है

और मुकदमेबाजी खर्च, इसके गैर के लिए कानूनी परिणाम

भुगतान यह है कि उक्त पति या पत्नी का बचाव उत्तरदायी है -

तोड़ दिया जाए "।

(जोर दिया गया)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सतीश कुमार बनाम मीना 67 मामले में फैसला सुनाया

कि परिवार न्यायालय को समाप्त करने की अंतर्निहित शक्तियाँ थीं

प्रत्यर्थी का बचाव, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग न हो

अदालत होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीमती. संतोष सहगल बनाम श्री

68 वर्षीय मुरारी लाल सहगल ने निम्नलिखित मुद्दे को तैयार किया

विचारः " क्या डिक्री के खिलाफ अपील

अपीलार्थी द्वारा दायर तलाक-पत्नी को अनुमति दी जा सकती है

सीधे उत्तरदाता को सुने बिना-पति

अंतरिम रखरखाव का भुगतान करने में विफल रहने की घटना और मुकदमेबाजी के दौरान पत्नी को दिए गए खर्च

अपील की विचाराधीनता "।

संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया गयाः

" 5.बानी के फैसले में फैसले के हिस्से का संदर्भ

ऊपर दिए गए मामले से पता चलता है कि पंजाब

और हरियाणा उच्च न्यायालय और उड़ीसा पृष्ठ 2216 उच्च न्यायालय

एक सर्वसम्मत दृष्टिकोण लिया है कि मामले में पति

उसे अंतरिम रखरखाव के भुगतान में चूक करता है पत्नी और बच्चे तो वह किसी भी विवाह का हकदार नहीं है।

उसके द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाही में राहत। द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बानी के मामले में

इसके बाद सतीश कुमार में इस न्यायालय का एकल न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

विचार करें कि जब कोई पति लापरवाही करता है और भुगतान नहीं करता है न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उसकी पत्नी को भरण-पोषण, तब

कैसे ऐसा व्यक्ति उस राहत का हकदार है जिसका उसने दावा किया है

वैवाहिक कार्यवाही। हमें कोई झिझक नहीं है

अभिनिर्धारित करना कि यदि पति भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहता है

और अदालत द्वारा उसकी पत्नी को दिए गए मुकदमेबाजी के खर्च

0) डी आर जे 246। 07 दिल्ली 210.

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

अपील के लंबित रहने के दौरान, फिर दायर की गई अपील

द्वारा प्रदत्त तलाक की डिक्री के विरुद्ध पत्नी द्वारा

पति के पक्ष में निचली अदालत को अनुमति देनी होगी। इसलिए निर्णय के लिए हमें संदर्भित प्रश्न का उत्तर दिया गया है

सकारात्मक "।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि भुगतान नहीं किया गया था

अंतरिम रखरखाव, प्रत्यर्थी का बचाव उत्तरदायी है खारिज किया जाना, और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील-पत्नी

प्रत्यर्थी को सुने बिना अनुमति दी जा सकती है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरिंदर में

सिंह बनाम मूर्ति और Ors.6[9] 69 एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे थे जहाँ निचली अदालत ने भुगतान न करने पर पति के बचाव को रोक दिया

विज्ञापन-अंतरिम रखरखाव। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और कहा कि सही का पालन करने के बजाय

अंतरिम रखरखाव की वसूली के लिए प्रक्रिया जैसा कि प्रदान किया गया है यू/एस। 125 (3) या Cr.P.C की धारा 421, निचली अदालत ने पति के बचाव को रद्द करने में गलती की। गलती की

अदालत ने अंतरिम रखरखाव की वसूली में सहायता नहीं की, लेकिन

बल्कि पक्षों के बीच मुकदमेबाजी को लंबा कर दिया।

यह मुद्दा कि क्या कार्यवाही में बचाव को रद्द किया जा सकता है

धारा 125 Cr.P.C के तहत मध्य से पहले आया था वेंकटेश्वर द्विवेदी बनाम रुचि मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय

द्विवेदी। 70 न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न तो आई. डी. 1 की धारा 125 (3) और न ही परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 10 स्पष्ट रूप से

बचाव पक्ष को बर्खास्त करने के लिए अदालत। वसूली के लिए एक वैधानिक उपाय रखरखाव उपलब्ध था, और बंद करने की शक्ति

यू/एस कार्यवाही में बचाव मौजूद नहीं है। 125 Cr.P.C. ऐसा

शक्ति को अंतर्निहित या निहित के रूप में अस्तित्व में नहीं माना जा सकता है। शक्ति। अदालत ने डेविस बनाम थॉमस में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि मजिस्ट्रेट के पास विफलता के लिए बचाव पक्ष को खारिज करने की शक्ति नहीं है

अंतरिम रखरखाव का भुगतान करना।

आर सिंह बनाम मूर्ति और अन्य। I (1990) DMC 559।

डीएमसी 103 एमपी।

एक उच्च न्यायालय ने रवींद्र कुमार बनाम रेणुका और अन्न मामले में इस दृष्टिकोण की पुष्टि की। 2009 लाइन कार 481।

एलआर (केरल) 389।

साकीर हुसैन टी. पी. बनाम नसीरा और अन्य। , 2016 (4) आईएलआर (केरल) 917।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेशों के प्रवर्तन पर चर्चा और निर्देश

रखरखाव रखरखाव के आदेश या डिक्री को दीवानी अदालत के डिक्री की तरह लागू किया जा सकता है, उन प्रावधानों के माध्यम से जो दीवानी सहित धन डिक्री को लागू करने के लिए उपलब्ध हैं।

सी. पी. सी. के विभिन्न प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई हिरासत, संपत्ति की कुर्की, आदि, विशेष रूप से आदेश XXI के साथ पठित धारा 51,55,58,60।

प्रत्यर्थी के बचाव को रद्द करना एक ऐसा आदेश है जिसे अंतिम उपाय में पारित किया जाना चाहिए, यदि अदालतें चूक को जानबूझकर और विवादास्पद मानती हैं, विशेष रूप से

आश्रित बेरोजगार पत्नी और नाबालिग बच्चे। जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना कार्यवाही उपयुक्त न्यायालय के समक्ष शुरू की जा सकती है।

अंतिम दिशाएँ

इस निर्णय के भाग बी-I से V में निहित पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हम इसे पारित करना उचित समझते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित निर्देशः

(क) अतिव्यापी अधिकारिता का मुद्दा

अतिव्यापी अधिकारिता के मुद्दे को दूर करने के लिए, और

विभिन्न कार्यवाहियों में परस्पर विरोधी आदेश पारित होने से बचने के लिए, इस संबंध में निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है, ताकि पूरे देश में पारिवारिक न्यायालयों/जिला न्यायालयों/मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा पालन की जाने वाली प्रथा में एकरूपता हो। हम निर्देश देते हैं किः

(i) जहां एक पक्ष द्वारा विभिन्न कानूनों के तहत रखरखाव के लिए लगातार दावे किए जाते हैं, वहां न्यायालय एक पर विचार करेगा -

यह निर्धारित करते हुए कि क्या बाद की कार्यवाही में कोई और राशि प्रदान की जानी है, पिछली कार्यवाही में दी गई राशि का समायोजन या कटौती;

((ii) आवेदक के लिए पिछली कार्यवाही और उसमें पारित आदेशों का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बाद की कार्यवाही; रजनीश बनाम।

((ग) यदि पिछली कार्यवाही में पारित आदेश की आवश्यकता है।

कोई भी संशोधन या परिवर्तन, यह किया जाना आवश्यक होगा

उसी प्रक्रिया में।

अंतरिम रखरखाव का भुगतान

इस निर्णय के संलग्नक I, II और III के रूप में संलग्न परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण का शपथ पत्र, जो भी हो सकता है

लागू होगा, दोनों पक्षों द्वारा सभी रखरखाव कार्यवाही में दायर किया जाएगा, जिसमें लंबित कार्यवाही भी शामिल है संबंधित परिवार न्यायालय/जिला न्यायालय/मजिस्ट्रेट न्यायालय, जैसा भी मामला हो, पूरे देश में।

रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए मानदंड

एक आवेदक को देय रखरखाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए, न्यायालय मानदंडों को ध्यान में रखेगा।

निर्णय के भाग बी-III में उल्लिखित।

उपरोक्त कारक हालांकि संपूर्ण नहीं हैं, और संबंधित न्यायालय विचार करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।

कोई अन्य कारक जो आवश्यक या प्रासंगिक हो सकता है

किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

जिस तारीख से रखरखाव प्रदान किया जाना है

हम यह स्पष्ट करते हैं कि सभी मामलों में रखरखाव के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से रखरखाव प्रदान किया जाएगा, जैसा कि ऊपर भाग बी-IV में आयोजित किया गया है।

रखरखाव के आदेशों का प्रवर्तन/निष्पादन

रखरखाव के आदेशों के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए। यह निर्देश दिया जाता है कि रखरखाव का आदेश या डिक्री हो सकती है हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 28 ए के तहत लागू;

डी. वी. अधिनियम की धारा 20 (6) और Cr.P.C की धारा 128, जो लागू हो सकती है। रखरखाव के आदेश को सी. पी. सी. के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 51,55,58,60 आर. डब्ल्यू. के अनुसार एक दीवानी अदालत के धन डिक्री के रूप में लागू किया जा सकता है। आदेश दें

XXI।

इस निर्णय के साथ भाग लेने से पहले, हम एल. डी. द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सहायता की सराहना करते हैं।

न्याय मित्र सुश्री अनीता शेनॉय और श्री गोपाल

शंकरनारायणन, इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस निर्णय की एक प्रति के माध्यम से सूचित किया जाए

इस न्यायालय के महासचिव, सभी उच्च न्यायालयों के पंजीयकों को, जो बदले में इसे राज्यों के सभी जिला न्यायालयों में प्रसारित करेंगे। इसे सभी जिला न्यायालयों/परिवार न्यायालयों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

जागरूकता और कार्यान्वयन।

एनक्लोजर I

गैर-कृषि घटकों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों का भुगतान

आई.

डी/ओ

या एस/ओ

वर्ष, निवासी

के बारे में

सत्यनिष्ठा से पुष्टि करें और निम्नानुसार घोषणा करें:

A. व्यक्तिगत जानकारी

1 . नाम -

2. आयु/लिंगः

3. योग्यता (शैक्षिक और व्यावसायिक):

4. क्या आवेदक वैवाहिक घर में रह रहा है /

माता-पिता का घर/अलग निवास। कृपया वर्तमान प्रदान करें

वैवाहिक घर या निवास स्थान का आवासीय पता और निवास के स्वामित्व का विवरण, यदि अन्य परिवार के स्वामित्व में है

सदस्य।

5 . शादी की तारीखः 6 . अलग होने की तारीखः

7 . आवेदक का सामान्य मासिक खर्च (किराया, घर का खर्च)

खर्च, चिकित्सा बिल, परिवहन, आदि):

ख. कानूनी कार्यवाही और रखरखाव का विवरण

1. आवेदक और गैर-आवेदक के बीच रखरखाव या बाल सहायता के संबंध में किसी भी चल रही या पिछली कानूनी कार्यवाही का विवरण।

2. क्या D.V.Act, Cr.P.C., एच. एम. ए., एच. ए. एम. ए., राजेश v. के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही में कोई रखरखाव प्रदान किया गया है।

नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

आदि? यदि हां, तो रखरखाव की मात्रा का विवरण दें।

कार्यवाही में सम्मानित किया गया। यदि हां, तो इसकी एक प्रति के साथ इसका विवरण दें।

आदेश/पारित किए गए।

क्या रखरखाव का आदेश पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में पारित किया गया था

इसका पालन किया गया है। यदि नहीं, तो रखरखाव का बकाया। क्या रखरखाव के लिए कोई स्वैच्छिक योगदान किया गया है/भविष्य में किया जाएगा? यदि हां, तो विवरण दें।

उसी से।

आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण

आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण, यदि कोई हो। ए। आश्रितों के साथ संबंधः

यदि आश्रितों की आय का कोई स्वतंत्र स्रोत है, जिसमें ब्याज आय, संपत्ति, पेंशन, ऐसी किसी भी आय पर कर देयता और कोई अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हैं, तो इसका खुलासा करें। के कारण होने वाले अनुमानित खर्च

आश्रित।

अभियुक्त और/या आश्रित का चिकित्सा विवरण यदि कोई हो

अंगारे।

चाहे कोई भी पक्ष या बच्चा/बच्चे किसी शारीरिक/मानसिक अक्षमता, या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हों। अगर

हां, मेडिकल रिकॉर्ड बनाएँ।

क्या परिवार के किसी आश्रित सदस्य को गंभीर विकलांगता है, जिसके लिए निरंतर चिकित्सा व्यय की आवश्यकता होती है। यदि हां, तो विकलांगता प्रमाण पत्र और अनुमानित चिकित्सा व्यय प्रस्तुत करें।

इस तरह के चिकित्सा उपचार पर खर्च किया गया।

चाहे कोई भी पक्ष या बच्चा/बच्चे या परिवार का कोई अन्य आश्रित सदस्य जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हो, जिसके लिए महंगा और नियमित चिकित्सा खर्च करना पड़ता है? यदि हां, तो अस्पताल में भर्ती होने/किए गए चिकित्सा खर्चों के पिछले विवरण के सारांश के साथ इसका विवरण प्रदान करें।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. पार्टियों के बच्चों का विवरण 1. मौजूदा विवाह/वैवाहिक जीवन से बच्चों की संख्या

संबंध/पिछली शादी

2. बच्चों का नाम और उम्र

3. माता-पिता का विवरण जिनके पास बच्चों का संरक्षण है।

4 . आश्रित बच्चों के रखरखाव के लिए व्यय।

ए। भोजन, कपड़े और चिकित्सा खर्चों के लिए

बी। शिक्षा के लिए खर्च, और सामान्य का सारांश

खर्च

सी। आश्रित बच्चों के किसी भी अतिरिक्त शैक्षिक, व्यावसायिक या व्यावसायिक/शैक्षिक पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण या विशेष कौशल कार्यक्रम के खर्च, यदि कोई हो, के लिए।

डी। किसी भी ऋण, बंधक, उपगत शुल्क या किश्त योजना (भुगतान या देय), यदि कोई हो, का विवरण।

बच्चों का शैक्षिक खर्च।

5. क्या इन शैक्षिक खर्चों के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कोई स्वैच्छिक योगदान किया जा रहा है। यदि हां, तो

उसी का विवरण प्रदान करें। किसी भी का अनुमान भी दें

अतिरिक्त योगदान जिसकी आवश्यकता हो सकती है।

6. क्या किसी तीसरे द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है

बच्चों के शिक्षा खर्च के लिए पार्टी?

एफ. अभिदाता की आय का विवरण

1. नियोक्ता का नाम -

2. पदनामः

3. मासिक आयः 4. यदि आप सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, तो नवीनतम वेतन प्रमाण पत्र या वर्तमान वेतन पर्ची या बैंक खाते में जमा का प्रमाण प्रस्तुत करें, यदि नियोक्ता द्वारा सीधे प्रेषित किया जा रहा है।

5. यदि निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पदनाम और सकल मासिक आय का उल्लेख करते हुए नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र और संबंधित अवधि के लिए प्रपत्र 16 प्रस्तुत करें।

वर्तमान रोजगार।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर.

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

यदि कोई अनुलाभ, लाभ, घर का किराया भत्ता, यात्रा

वर्तमान अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा भत्ता, महँगाई भत्ता या कोई अन्य सेवा लाभ प्रदान किया जा रहा है।

रोजगार। क्या इसका निर्धारण आयकर में किया जाता है?

यदि हां, तो अवधि के लिए आयकर विवरणी की प्रतियां जमा करें।

नीचे दिया गया है:

((i) शादी से एक साल पहले

((ii) अलग होने से एक साल पहले

(iii) उस समय जब रखरखाव के लिए आवेदन दायर किया जाता है।

अन्य स्रोतों से आय, जैसे किराया, ब्याज, शेयर, लाभांश, पूंजीगत लाभ, एफ. डी. आर., डाकघर जमा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, डिबेंचर, कृषि या व्यवसाय, यदि कोई हो, ऐसी किसी भी आय के संबंध में टी. डी. एस. के साथ। पिछले 3 वर्षों के सभी खातों के बैंक विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करें।

निक्षेपक के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ (चल और अचल)

स्व-अर्जित संपत्ति, यदि कोई हो:

विवाह के बाद पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियाँ:

किसी भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी:

पक्षों की अन्य संयुक्त संपत्तियाँ (खाते/निवेश/एफ. डी. आर./म्यूचुअल फंड, स्टॉक, डिबेंचर आदि), उनका मूल्य और

अधिकार की स्थिति:

अचल संपत्ति के कब्जे की स्थिति और किराए का विवरण,

यदि पट्टे पर दिया गया है:

अभिदाता द्वारा लिए गए या दिए गए ऋणों का विवरण समारोहों के आभूषणों और आभूषणों का संक्षिप्त विवरण

विवाह के दौरान/बाद में प्राप्त किया गया

विवाह के निर्वाह के दौरान निष्पादित हस्तांतरण विलेखों या आवेदक के स्वामित्व वाली संपत्तियों के अलगाव के लेनदेन का विवरण। संक्षिप्त कारण भी बताएँ।

ऐसी बिक्री या लेन-देन के लिए, यदि कोई हो।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच. प्रतिपादक की देनदारियों का विवरण

1. ऋण, देनदारियाँ, बंधक, या बकाया शुल्क

प्रतिपादक, यदि कोई हो।

2 . भुगतान की जा रही किसी भी ई. एम. आई. का विवरण।

3 . ऋण लेने या ऐसी कोई देनदारी लेने की तारीख और उद्देश्यः

4 . वास्तविक ऋण राशि, यदि कोई हो, और अब तक भुगतान की गई राशि

शपथ पत्र दाखिल करने की तिथिः

5. कोई अन्य जानकारी जो वर्णन करने के लिए प्रासंगिक होगी

प्रतिपादक की वर्तमान देनदारियाँ।

I. स्व-नियोजित व्यक्ति/पेशेवर/व्यवसायी व्यक्ति

प्रतिनिधि

1. व्यवसाय/पेशा/व्यवसाय/की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण

स्व-नियोजित/कार्य गतिविधि।

2. क्या व्यवसाय/पेशा/स्व-रोजगार एक व्यक्ति के रूप में किया जाता है, एकल स्वामित्व चिंता, साझेदारी चिंता, एलएलपी, कंपनी या व्यक्तियों का संघ, एचयूएफ, संयुक्त परिवार का व्यवसाय या कोई अन्य रूप? इसका विवरण दें।

साझेदारी/व्यवसाय/व्यावसायिक संघ/स्व-रोजगार में आवेदक का हिस्सा। साझेदारी के मामले में, निर्दिष्ट करें साझेदारी के लाभ/हानि में हिस्सेदारी।

3. व्यवसाय/पेशा/साझेदारी/स्वयं से शुद्ध आय

रोजगार।

4. व्यवसाय/साझेदारी/स्व-रोजगार देनदारियाँ, यदि कोई हों,

इस तरह की गतिविधि।

5. कंपनी के व्यवसाय के मामले में, उस कंपनी के लाभ और हानि को इंगित करने के लिए अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें जिसमें ऐसा पक्ष कंपनी में व्यवसाय कर रहा है।

6. साझेदारी फर्म के मामले में, फाइलिंग का विवरण प्रदान करें

साझेदारी का अंतिम आयकर विवरणी।

7. स्व-नियोजित व्यक्ति के मामले में, ऐसे किसी भी पेशेवर/व्यवसाय से अंतिम आयकर विवरणी की फाइलिंग प्रदान करें।

व्यावसायिक गतिविधि।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में

नहीं, दूसरे पति या पत्नी की संपत्ति और देनदारियाँ

दूसरे पति या पत्नी की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएँः

क्या जीवनसाथी कमाई कर रहा है? यदि ऐसा है तो इसका विवरण दें।

यदि नहीं, तो क्या वह अपने घर में रह रहा है। आवास, या किराए के आवास में या

नियोक्ता/व्यवसाय/साझेदारी द्वारा प्रदान किया गया आवास?

पति या पत्नी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण, जैसा कि प्रतिनिधि को ज्ञात है, किसी भी सहायक दस्तावेज के साथ।

पक्षकारों के मामले में आवेदक या अन्य पति या पत्नी का विवरण

निवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक, विदेशी

या भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति।

नागरिकता, राष्ट्रीयता और वर्तमान स्थान का विवरण निवास, यदि आवेदक या अन्य पति या पत्नी विदेश में रह रहे हैं

भारत के बाहर, अस्थायी या स्थायी रूप से।

ऐसे आवेदक/पति या पत्नी के वर्तमान रोजगार और विदेशी मुद्रा में नवीनतम आय का विवरण, विदेशी नियोक्ता या विदेशी संस्थान से रोजगार पत्र या प्रमाण पत्र के माध्यम से ऐसे विदेशी नियोक्ता या विदेशी संस्थान से रोजगार और आय के प्रासंगिक दस्तावेज द्वारा विधिवत समर्थित या

नवीनतम प्रासंगिक बैंक विवरण।

विदेशी क्षेत्राधिकार में ऐसे आवेदक/पति/पत्नी के घरेलू और अन्य खर्चों का विवरण।

विदेश में आवेदक/अन्य पति/पत्नी के कर दायित्व का विवरण

अधिकार क्षेत्र।

भारत/विदेशी क्षेत्राधिकार में अन्य स्रोतों से आवेदक/अन्य जीवनसाथी की आय का विवरण।

पति-पत्नी के रखरखाव, बच्चे की सहायता या किसी अन्य शैक्षिक खर्च, जीवनसाथी या बच्चों के चिकित्सा उपचार के कारण किए गए खर्चों या योगदान का विवरण।

खर्चों या देनदारियों का कोई अन्य प्रासंगिक विवरण, जो उपरोक्त किसी भी शीर्षक के तहत शामिल नहीं है और भारत या विदेश में किसी अन्य आश्रित परिवार के सदस्य के लिए कोई अन्य देनदारियां।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्टीकरण

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सभी स्रोतों से अपनी आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों का पूर्ण और सटीक खुलासा किया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि मेरे पास कोई संपत्ति, आय, व्यय नहीं है।

और इस शपथ पत्र में बताए गए दायित्वों के अलावा अन्य देनदारियां।

मैं इस न्यायालय को इस संबंध में तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं

इस शपथ पत्र में शामिल मेरे रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या किसी अन्य जानकारी में कोई भौतिक परिवर्तन।

मैं समझता हूं कि इस हलफनामे में कोई भी गलत बयान, अदालत की अवमानना होने के अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 191 और 193 के साथ पठित धारा 199 के तहत भी अपराध हो सकता है, जो सात साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 209 दो साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। मैंने पढ़ा है और

भारतीय दंड संहिता की धारा 191,193,199 और 209 को समझा।

कोड, 1860।

विभाग

सत्यापन

एक दिन का

में सत्यापित किया गया

इस पर

की सामग्री

उपरोक्त हलफनामा मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है, इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इससे कुछ भी सामग्री नहीं छिपी है, जबकि मेरे जीवनसाथी की संपत्ति, आय और व्यय से संबंधित उपरोक्त हलफनामे की सामग्री रिकॉर्ड के आधार पर सही मानी जाने वाली जानकारी पर आधारित है। मैं आगे सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों की प्रतियां मूल की प्रतियां हैं।

विभाग

एनक्लोजर II

कृषि प्रतिनिधियों के लिए शपथ पत्र (कृषि)

स्वामित्व वाली ग्रामीण भूमि का कुल विस्तार, या विशिष्ट हिस्सा

एक ही भूमि में स्वामित्वः

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर.

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

स्वामित्व दिखाने के लिए जामबंदी/उत्परिवर्तन

पक्ष के स्वामित्व वाली भूमि का स्थान।

भूमि की प्रकृतिः चाहे गीली भूमि हो या सूखी भूमि।

चाहे ऐसी भूमि कृषि भूमि हो या गैर-कृषि भूमिः

भूमि से पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्पन्न आय। क्या कोई भूमि पट्टे पर ली गई है (या संबंधित क्षेत्राधिकार के स्थानीय क्षेत्र में पट्टे के लिए उपयोग की जाने वाली कोई अन्य शब्द)

जहाँ ग्रामीण/कृषि भूमि स्थित है।)

(क) चाहे वह भैंस, गाय, बकरी, मवेशी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन आदि जैसे किसी भी पशुधन का मालिक हो।

उसकी संख्या और उससे उत्पन्न आय? (ख) चाहे वह डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मछली पालन में लगे हों या

कोई अन्य पशुधन गतिविधि। भूमि के विरुद्ध प्राप्त ऋण, यदि कोई हो। ऐसे विवरण प्रस्तुत करें

ऋण।

आय का कोई अन्य स्रोतः देनदारियाँ, यदि कोई हों

कोई अन्य प्रासंगिक जानकारीः

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सभी स्रोतों से अपनी आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों का पूर्ण और सटीक खुलासा किया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि मेरे पास कोई संपत्ति, आय, व्यय नहीं है।

मैं इस न्यायालय को इस संबंध में तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं इस शपथ पत्र में शामिल मेरे रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या किसी अन्य जानकारी में कोई भौतिक परिवर्तन।

मैं समझता हूं कि इस हलफनामे में कोई भी गलत बयान, अदालत की अवमानना होने के अलावा, [2020] 13 एस. सी. आर. के तहत अपराध हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय दंड संहिता की धारा 199 को भारतीय दंड संहिता की धारा 191 और 193 के साथ पढ़ा जाता है जो सात साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है और भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत दंडनीय है -

दो साल तक की कैद और जुर्माना। मैंने पढ़ा है और

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 191,193,199 और 209 को समझा।

विभाग

सत्यापन

एक दिन का

इस पर सत्यापित किया गया

की सामग्री

उपरोक्त शपथ पत्र मेरी व्यक्तिगत जानकारी के लिए सही हैं, इसका कोई हिस्सा नहीं है

यह गलत है और इससे कुछ भी सामग्री नहीं छिपाई गई है। मैं आगे सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों की प्रतियां मूल की प्रतियां हैं।

विभाग

एनक्लोजर III

मेघालय राज्य के लिए शपथ पत्र

चाहे वह महिला परिवार की सबसे छोटी बेटी हो। क्या महिला अपने परिवार में अपने पति के साथ रह रही है

संपत्ति। क्या उसका कोई मामा है, जो उनके पारिवारिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें निपटान शामिल है

वैवाहिक विवाद। स्त्री को अपने वंश और वंश का भी खुलासा करना चाहिए।

महिला को खुलासा करना चाहिए कि क्या उसके बच्चों ने गोद लिया है

महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसे अपने कबीले या परिवार के सदस्य से कोई वित्तीय सहायता मिलती है। महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसके माता-पिता जीवित हैं, उसकी माँ और उसके कितने भाई-बहन हैं।

राजेश वी. नेहा और ए. एन. आर. [इंदू मल्होत्रा, जे।]

महिला को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसकी शादी आदिवासी या गैर-आदिवासी से हुई है उपरोक्त प्रारूप को संबंधित न्यायालय द्वारा संशोधित या अनुकूलित किया जा सकता है, जैसा कि उचित माना जा सकता है।

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने इसका पूर्ण और सटीक खुलासा किया है सभी स्रोतों से मेरी आय, व्यय, परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ। मैं आगे घोषणा करता हूं कि मेरे पास कोई संपत्ति, आय, व्यय नहीं है।

और इस शपथ पत्र में बताए गए दायित्वों के अलावा अन्य देनदारियां। मैं इस न्यायालय को इस संबंध में तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं

इस शपथ पत्र में शामिल मेरे रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या किसी अन्य जानकारी में कोई भौतिक परिवर्तन।

और जुर्माना, और भारतीय दंड संहिता की धारा 209 दो साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। मैंने पढ़ा है और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 191,193,199 और 209 को समझा।

विभाग

सत्यापन

में सत्यापित किया गया

एक दिन का

इस पर

की सामग्री

उपरोक्त शपथ पत्र मेरी व्यक्तिगत जानकारी के लिए सही हैं, इसका कोई हिस्सा नहीं है

यह गलत है और इससे कुछ भी सामग्री नहीं छिपाई गई है, 1174

सर्वोच्च न्यायालय की

रिपोर्ट

जबकि उपरोक्त

शपथ-पत्र की विषय-वस्तु

ए.

मेरे जीवनसाथी की

संपत्ति, आय और व्यय अभिलेख के आधार पर सही मानी जाने वाली जानकारी पर आधारित हैं। मैं आगे सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों की प्रतियां मूल की प्रतियां हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी